इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2011—वैशाख 23, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-855-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक देशवाल, आयएएस., कलेक्टर जिला अलीराजपुर को दिनांक 2 से 20 मई 2011 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक देशवाल की अवकाश की अवधि में श्री बी. एल. जड़िया, अपर कलेक्टर, अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक देशवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक देशवाल द्वारा कलेक्टर जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. जडिया, कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक देशवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देशवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. ई. 5-772-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री पी. नरहरि, आयएएस, कलेक्टर, जिला सिंगरौली को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 25 अप्रैल से 7 मई 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 24 अप्रैल एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है. पूर्व स्वीकृत उक्त अवकाश अवधि में से पांच दिवस का अवकाश एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-457-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 2 मई से 13 मई 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 मई एवं 14, 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-524-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 1 मई से 31 मई 2011 तक इकतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाकर, श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा गया है.

(2) राज्य शासन उक्त आदेश के प्रभार में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, केवल तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री पंकज राग, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संस्कृति विभाग एवं ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(4) इस विभाग के ससंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-724-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुखबीर सिंह, आयएएस., कलेक्टर जिला सतना को दिनांक 2 से 13 मई 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 14, 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री सुखबीर सिंह की अवकाश की अवधि में श्री आर. डी. चौबे, अपर कलेक्टर, सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, सतना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुखबीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुखबीर सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला सतना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. डी. चौबे, कलेक्टर जिला सतना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुखबीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखबीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-484-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत, निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 5 से 11 मई 2011 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री प्रभाकर बंसोड़ की अवकाश की अवधि में श्री अरूण तिवारी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, जन शिकायत, निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप

से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जन शिकायत, निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रभाकर बंसोड़ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जन शिकायत, निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण तिवारी जन शिकायत, निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-777-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शिवहरे आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास को दिनांक 2 से 7 मई 2011 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शिवहरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शिवहरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शिवहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. ई. 5-42-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस., महानिदेशक आर.सी.व्ही.पी., नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 28 अप्रैल से 4 मई 2011 तक, स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 20 से 26 मई 2011 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई. 5-498-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-13-77-2010-5-1, दिनांक 15 अप्रैल 2011 के द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 10 जून 2011 तक आयोजित अनिवार्य मिड केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फार आयएएस आफिसेर्स-(फेस-IV-Rounds 5th) में भाग लेने के फलस्वरूप उक्त अवकाश अवधि में इनके विभाग का प्रभार श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस, वि.क.अ.-सह-श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को सौंपा गया था.

(2) राज्य शासन उक्त आादेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री प्रमोद कुमार दास के स्थान पर श्री रजनीश वैश, आयएएस, वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ अपर आयुक्त वाणिजिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार देखा जा सकता है.

क्र. ई-5-457-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 2 से 13 मई 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 14, 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश अवधि में श्री सत्यप्रकाश, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-160-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिलीप मेहरा, आयएएस., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 2 से 11 मई 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप मेहरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिलीप मेहरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप मेहरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-837-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 25 अप्रैल से 5 मई 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.

क्र. ई-5-667-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस., कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 मई 2011 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 29 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर.ए. खण्डेलवाल, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 30 अप्रैल से 13 मई 2011 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री आर. पी. भारती, अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर.पी. भारती, कलेक्टर, जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 2 से 7 मई 2011 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-498-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस., वि.क.अ.-सह-श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के दिनांक

17 अप्रैल 2011 से अवकाश पर रहने के कारण श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ.-सह-श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार श्री दास के अवकाश से लौटने तक की अवधि के लिए सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

क्र. ई-5-835-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 11 से 28 मई 2011 तक, अठारह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री कवीन्द्र कियावत की अवकाश अवधि में श्री ए.पी.सिंह, संयुक्त कलेक्टर, अनूपपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए.पी. सिंह, कलेक्टर, जिला अनूपपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-731-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं (श्री संजय दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मसूरी प्रशिक्षण दिनांक 18 अप्रैल से 10 जून 2011 तक, जाने के कारण अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 2 से 7 मई 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री शिवशेखर शुक्ला, की अवकाश अवधि में श्री हीरालाल त्रिवेदी, भाप्रसे, आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा आयुक्त, पंचायती राज को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अतिरिक्त प्रभार मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अतिरिक्त प्रभार मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

क्र. ई-5-291-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस., उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिनांक 16 से 20 मई 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री ओ. पी. रावत की अवकाश अवधि में श्री रजनीश वैश, आयएएस., वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. रावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ओ. पी. रावत द्वारा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ओ. पी. रावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओ. पी. रावत, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-861-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री के. वासुकी, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 5 से 20 मई 2011 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री के. वासुकी, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री के. वासुकी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. एफ. ए 5-13-2011-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री मूलचंद गर्ग, अपर न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, दिल्ली जिनका स्थानांतरण भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 11017-1-2011-यू.एस. ।। दिनांक 5 अप्रैल 2011 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के पद पर किए जाने से उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार दिनांक 18 अप्रैल 2011 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है.

क्र. एफ. ए 5-14-2011-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सुशील हरकौली, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, झारखण्ड जिनका स्थानांतरण भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 11017-2-2011-यू.एस ॥, दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर किए जाने से उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार दिनांक 8 अप्रैल 2011 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. एफ-3-4-2011-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगरपालिका परिषद्, मण्डीदीप, जिला रायसेन एवं नगर पंचायत, ईसागढ़, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन 2011 हेतु दिनांक 11 मई 2011 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित नगरीय क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-577-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अशोक कुमार शाह, आयएएस., आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी एवं 1 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 21 फरवरी से 31 मार्च 2011 तक उनचालीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 25 फरवरी 2011 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी एवं 1 मार्च 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. ई-5-763-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुभाष जैन, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 2 से 21 अप्रैल 2011 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुभाष जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुभाष जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुभाष जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. सी. पंत, अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

क्र. ई-5-787-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 28 जनवरी से 7 फरवरी 2011 तक ग्यारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.

क्र. ई-5-694-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

फा. क्र. 3(ए)15-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री हरि शंकर वैश्य, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय पन्ना को अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1-8-79-इक्कीस-ब(एक).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का. सं. 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. फा. 1-8-79-इक्कीस-ब(1), दिनांक 28 जून 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 2, 7 और 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् .—

अनुक्रमांक	मुख्यालय का नाम	सिविल जिलों में की क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
''1.	इन्दौर	इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर
2.	खण्डवा	खण्डवा, हरदा, होशंगाबाद, मण्डलेश्वर, बड़वानी, बुरहानपुर.
7.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, दमोह, मण्डला, रीवा, सतना, सीधी, सागर, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, डिण्डौरी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया.
8.	ग्वालियर	ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, दतिया, टीकमगढ़, अशोकनगर.''.

F. No. 1-8-79-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, after consultation with the

High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification No. 1-8-79-XXI-B(1) dated the 28th June 2007, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification in the Table, for serial numbers 1, 2, 7 and 8 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of Head Quarter	Territorial Jurisdiction in Civil Districts
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Indore, Dhar, Jhabua Alirajpur.
2.	Khandwa	Khandwa, Harda, Hoshangabad, Mandleshwar, Barwani, Burhanpur.
7.	Jabalpur	Jabalpur, Katni, Damoh, Mandla, Rewa, Satna, Sidhi, Sagar, Panna, Chhatarpur, Shahdol, Dinddori, Singrauli, Anuppur, Umaria.
8.	Gwalior	Gwalior, Morena, Sheopur, Bhind, Shivpuri, Guna, Datia, Tikamgarh, Ashoknagar.".

The special court shall try the cases arising out of the Acts specified in the Schedule below :—

SCHEDULE

(1) The central Excise Act, 1944 (No. 1 of 1944).

(2) The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992).

(3) The Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).

(4) The Wealth Tax Act, 1957 (No. 22 of 1957).

(5) The Gift Tax Act, 1958 (No. 18 of 1958).

(6) The Income Tax Act, 1961 (No. 43 of 1961).

(7) The Customs Act, 1962 (No. 52 of 1962).

(8) The Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (No. 22 of 1963).

(9) The Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (No. 7 of 1964).

(10) The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (No. 54 of 1969).

(11) The Foreign Exchange Management Act, 1999 (No. 46 of 1999). w. e. f. 1-6-2000.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

फा. क्र. 4-1-2002-21-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(1) के अन्तर्गत श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, शहडोल को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहिले हो) नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अन्तर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011

फा. क्र. 3(ए)15-2005-(एक).—राज्य शासन, अपर सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर उच्च न्यायालय, जबलपुर को, एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से सौंपता है :—

(1) श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव, विधि विभाग, भोपाल.

(2) श्री विमल प्रकाश शुक्ला, अपर सचिव, विधि विभाग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

फा. क्र. 17(ई)81-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल में विधि परामर्शी के पद पर

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमनीस कुमार वर्मा की सेवाएं, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश, शासन से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

फा. क्र. 17(ई)51-2005-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-8-2007-उन्तीस-2 दिनांक 29-4-2011 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है :—

1.	श्रीमती पारो रायजादा, विशेष न्यायाधीश/ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रीवा.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
2.	श्री मोहम्मद शमीम, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 6, विद्युत् अधिनियम, 203 इन्दौर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.
3.	श्री श्यामकान्त कुलकर्णी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत् अधिनियम, 203, इन्दौर.	अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा.
4.	श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बड़वानी.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सिवनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

फा. क्र. 17(ई)182-2006-इक्कीस-ब-(दो).—दिनांक 9 सितम्बर, 2006 द्वारा श्री गिरजा प्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, निवासी-तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल को तहसील ब्यौहारी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 29 अक्टूबर 2009 को मृत्यु हो जाने के कारण तहसील ब्यौहारी में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17(ई)102-80-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, श्री जी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थाई पद पर रु. 5000/- (रु. पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन (Fixed pay) पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक, नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (573) उच्च न्यायालय भारित-01 वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, अपर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. एफ-03-21-2011-दो ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर

होशंगाबाद संभाग

1	श्री राहुल कुमार बांकड़े	पंजीयन लिपिक

क्र. एफ-03-24-2011-दो ए (तीन).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा,

जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्न-पत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	कु. विनीता जैस	वाणिज्यिक कर अधिकारी

इन्दौर संभाग

2	श्री फिरोज खान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री समर सिंह चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	श्री कन्हैयालाल पाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्री राजेन्द्र कुमार बिडारें	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री राजेन्द्र श्रौतिया	कराधान सहायक
7	श्रीमती करूणा माथुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	श्री जगदीश चन्द्र मरमट	कराधान सहायक
10	श्री गोपाल कृष्ण मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री कमलेश कुमार चावण्ड	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री चंद्रशेखर ओझा	कराधान सहायक
13	श्री सत्यनारायण यदुवंशी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	श्री मकसूद एहमद खान	कराधान सहायक
15	श्री बालचन्द्र कारपेन्टर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	श्रीमती गुरदीप कौर कंग	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री हरिशंकर सोनी	कराधान सहायक
2	श्री जीतेन्द्र सिंह चावड़ा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री योगेश कुमार लवानियां	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	श्री राम कुमार सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्री संदीप श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

सागर संभाग

6	श्री कल्याण सिंह यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

7	श्री आशीष चौधराना	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	श्री विक्रम जीत सिंह कंग	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

इन्दौर संभाग

9	श्री कमल विजयवर्गीय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	श्री बाबूलाल मरमट	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री विष्णु कुमार बघरैवाल	कराधान सहायक
12	श्री यशवन्त कण्डारा	कराधान सहायक
13	श्री सीताराम आर्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	श्री विजय दीप खलखो	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	श्री विजय राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	श्री मगन सिंह मसानियां	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	श्री जयराम सिंह मण्डलोई	कराधान सहायक
19	श्री सत्यनारायण धौसारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
20	श्री क्रितेश कुमार शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
21	श्री ललित कुमार सोमानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	श्री चन्द्रशेखर शुक्ला	कराधान सहायक
23	श्रीमती साधना शुक्ला	कराधान सहायक
24	श्री शेख अनवर	कराधान सहायक
25	श्री जयप्रकाश जोशी	कराधान सहायक
26	श्री रविन्द्र सवनेर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
27	श्री सुनिल कुमार गोगड़े	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
28	श्री कैलाश चन्द्र ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
29	श्री राजेन्द्र शिन्दे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
30	श्री विजय कुमार तिवारी	कराधान सहायक
31	श्री मंगलेश कुमार चौरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
32	श्री पूनमचंद पाटीदार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
33	श्री किशोर भगोरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
34	श्री सुशील मंगल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
35	श्री सतीश जोशी	कराधान सहायक
36	श्री जयंत गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
37	श्री राजेश श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. एफ-03-05-2011-दो ए (3)**शुद्धिपत्र**.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 2010 के तहत् वाणिज्यिक कर विभाग के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) में सागर संभाग के अन्तर्गत सुश्री बबीता पटेल, वाणिज्यिक कर अधिकारी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, के स्थान पर सुश्री बबीता पटेल, वाणिज्यिक कर अधिकारी को भोपाल संभाग से उत्तीर्ण पढ़ा जाए.

क्र. एफ-03-25-2011-दो ए (तीन).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रश्न-पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	कु. विनीता जैस	वाणिज्यिक कर अधिकारी

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

2	श्री हरिशंकर सोनी	कराधान सहायक.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2011

क्र. एफ-03-23-2011-दो ए (तीन).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रश्न-पत्र समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर

होशंगाबाद संभाग

1	श्री भारत लाल वरकड़े	हाउस मास्टर
2	श्री नर्मदा प्रसाद	मैट्रन

भोपाल संभाग

3	श्रीमती सुरेशी तिर्की	हाउस मास्टर.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल, 2011

क्र. एफ-03-20-2011-दो ए (तीन).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को प्रश्न-पत्र-लेखा-प्रश्न पत्र प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर

सागर संभाग

1	श्री नजीर अली	हाउस मास्टर

होशंगाबाद संभाग

2	श्री नर्मदा प्रसाद	मैट्रन
3	श्री भारत लाल बरकड़े	हाउस मास्टर

इन्दौर संभाग

4	श्रीमती सुजाता शुक्ला	मैट्रन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उप सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. एफ-1(ए)-168-89-ब-2-दो.—(1) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 मई से 10 जून 2011 तक कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21, 22 मई 2011 एवं 11, 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री पवन जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पवन जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. एफ-1(ए)-191-91-ब-2-दो.—(1) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (पश्चिम), विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 23 मई से 10 जून 2011 तक कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 21-22 मई एवं 11-12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में उत्तर पूर्व क्षेत्र की अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ ''श्रीनगर'', (जम्मू एवं कश्मीर) जाने की अनुमति दी जाती है:—

1.	श्री अशोक अवस्थी	-	स्वयं
2.	श्रीमती मंजरी अवस्थी	-	पत्नी
3.	कु. आरूषि अवस्थी	-	पुत्री
4.	कु. अतिष्या अवस्थी	-	पुत्री

(3) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (पूर्व), विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ किया जायेगा.

(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 19 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

(5) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, (पश्चिम) विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(6) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम), विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(7) अवकाशकाल में श्री अवस्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 1(ए)-157-95-ब-2-दो.—(1) राज्य शासन द्वारा श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (काउन्टर इन्टेलीजेन्स), विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 14 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2010 तक कुल अड़तालीस दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 96 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

क्र. एफ-1(ए)-75-90-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2010 द्वारा श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 16 अप्रैल 2010 तक कुल बारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 04, 17 एवं 18 अप्रैल 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-11 में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सपरिवार ''तवांग'' (अरुणाचल प्रदेश) जाने की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री श्रीवास्तव, भापुसे को दिनांक 8 से 24 अप्रैल 2010 तक सत्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 25 अप्रैल 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ, पूर्व स्वीकृत दिनांक 5 से 16 अप्रैल 2010 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुये, स्वीकृत किया जाता है.

(3) श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे द्वारा उक्त अवकाश यात्रा के लिये दस दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किये जाने संबंधी आवेदन-पत्र पूर्ण विचारोपरान्त अमान्य किया जाता है.

(4) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011

''संशोधन''

क्र. एफ 1 (बी) 73-04-बी-4-दो.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2011 कु. लहर गुप्ता का उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है, में उप पुलिस अधीक्षक के स्थान पर उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. एफ-2-35/07/बारह/2.—मेसर्स पेसिफिक एक्सपोर्ट्स द्वारा जिला जबलपुर एवं कटनी में आयरन ओर, मेंगनीज ओर, टाईटेनियम एवं वेनेडियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1101 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 551 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु	अक्षांश	देक्षांश
खण्ड 1		
A	23°30'00.00"	80°00'00.00"
W	23°40'09.20"	80°18'11.60"
Z	23°35'38.80"	80°25'06.20"
H	23°33'17.00"	80°20'40.00"
I	23°36'00.00"	80°19'02.00"
J	23°25'40.00"	80°00'00.00"
खण्ड 2		
X	23°50'55.20"	80°37'28.20"
B	23°51'50.00"	80°39'07.00"
C	23°41'05.00"	80°45'00.00"
Y	23°38'34.60"	80°36'54.90"

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र अवीक्षी अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, ''खनिज भवन'' 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. एफ-2-35-07-बारह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 27 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उप सचिव.

Bhopal, the 27th April 2011

No F-2-35-07-XII-2.—In exercise of rule 59(1) (a) of Mineral concession Rule 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 551 Km^2 out of 1101 Km^2 in Jabalpur & Katni Districts which was previously held by M/s Pacific Exports, for the reconnaissance operations of Iron ore, Manganese ore, Titanium & Vanadium Minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules, Details of the area are as below:—

Pts	Latitude	Longitude
Block 1		
A	23°30'00.00"	80°00'00.00"
W	23°40'09.20"	80°18'11.60"
Z	23°35'38.80"	80°25'06.20"
H	23°33'17.00"	80°20'40.00"
I	23°36'00.00"	80°19'02.00"
J	23°25'40.00"	80°00'00.00"
Block 2		
X	23°50'55.20"	80°37'28.20"
B	23°51'50.00"	80°39'07.00"
C	23°41'05.00"	80°45'00.00"
Y	23°38'34.60"	80°36'54.90"

The area shall be available for regrant of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, till 90 days, The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 04 मई 2011

क्र. एफ-7-19-2007-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, निवासी एल.आई.जी. 151, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल को दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 04 (चार) वर्ष के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ-1(सी)-5-98-ई-चार.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43/1973) की धारा-21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त सूची के मद ''ख'' म. प्र. के बोर्ड में क्रमांक 05 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ा जाये.

''06. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल''

इस निकाय की अंकेक्षण शुल्क की दरें वही होंगी जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी.

No F-1-(C)-5-98-E-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 21 of Madhya Pradesh Local Fund Audit Act., 1973 (Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973) No. 43 of 1973), the State Government hereby makes the following further amendment in the Schedule of the said Act:—

AMENDMENT

In the said Schedule, after Sr. No. 05 of the item 'B' Madhya Pradesh Boards the following item shall be added, namely:—

06. Maharshi Patanjali Sanskrit Sansthan Bhopal

Rate of the audit fees to be levied from this body would be the same as fixed by the Government from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक)-10.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43/2009/3835/इक्कीस-ब(1), दिनांक 23 नवम्बर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 25 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
''25.	श्रीमती वंदना राज पांडे	धार	धार	धार	धार
28.	श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर)	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा.''.

टिप्पणी :—जहां किसी सिविल जिले, में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B(1)10.—In Exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B(1), dated 23rd November, 2010 Namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 25 and 28 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"25.	Smt. Vandana Raj Pandey	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar
28.	Shri Manoj Kumar Tiwari (Sr.)	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa.".

Note.—Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District in that case such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 3-23-2011-बत्तीस.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17क(1) के अन्तर्गत मढ़ई विकास योजना समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17क (2) के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका गठित नहीं	लागू नहीं
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, होशंगाबाद	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, होशंगाबाद	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, सोहागपुर	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	विकास प्राधिकरण/वि.क्षे.वि.प्रा. गठित नहीं	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सोहागपुर	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, टेकापार (श्रीरंगपुर, सारंगपुर, टेकापार) तहसील सोहागपुर.	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, कामती (बीजाखारी, घोघरी, कामती) तहसील सोहागपुर.	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, मगरिया (रैनी पानी) तहसील सोहागपुर.	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला होशंगाबाद	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सोहागपुर	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सोहागपुर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक.	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल.	समिति संयोजक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ-25-46-2010-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वन भूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा, इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे :—

अनुसूची

जिला—विदिशा, तहसील—ग्यारसपुर, वनमंडल—विदिशा (सामान्य), वनपरिक्षेत्र—विदिशा (सामान्य)

क्र.	वनखण्ड का नाम	वन या बंजर भूमि का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुआखेड़ी (अ)	गैर-वन भूमि	706/1	4.818	**उत्तर.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पूर्व.—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 6 तक कृत्रिम सीमा रेखा. **दक्षिण.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 11 तक कृत्रिम सीमा रेखा. **पश्चिम.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
2	सुआखेड़ी (ब)	गैर-वन भूमि	721	6.449	**उत्तर.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम सीमा रेखा. **पूर्व.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 6 तक कृत्रिम सीमा रेखा. **दक्षिण.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 11 तक कृत्रिम सीमा रेखा. **पश्चिम.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 15 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			योग :	11.267	

अनुसूची

जिला—विदिशा, तहसील—बासौदा, वनमंडल—विदिशा (सामान्य), वन परिक्षेत्र—बासौदा

क्र.	वनखण्ड का नाम	वन या बंजर भूमि का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	तबक्कलपुर (खरपरी)	गैर वनभूमि	377/4/2	2.760	**उत्तर.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			382/1	11.288	**पूर्व.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 12 तक कृत्रिम सीमा रेखा. **दक्षिण.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 19 तक कृत्रिम सीमा रेखा. **पश्चिम.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से कक्ष क्रमांक पी-551 की पूर्वी सीमा पर कक्ष के मुनारा क्रमांक 8, 7, 6 एवं प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 तक कक्ष क्रमांक पी-551 की सीमा. प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 22 तक कृत्रिम सीमा रेखा. प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से कक्ष क्रमांक पी-551 की पूर्वी सीमा पर कक्ष के मुनारा क्रमांक 5, 4 एवं प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक कक्ष क्रमांक पी-551 की सीमा.
			योग :	14.048	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	रघुनाथपुर II	गैर वन भूमि	90	9.199	**उत्तर.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 एवं कक्ष क्रमांक पी-551 की दक्षिणी सीमा पर कक्ष के मुनारा क्रमांक 11 तक कृत्रिम सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक पी-551 के मुनारा क्रमांक 11 से 10 तक कक्ष की सीमा.
			93/1	2.000	
			93/2	4.773	
			94	3.375	**पूर्व.**—कक्ष क्रमांक पी-551 के मुनारा क्रमांक 10 से 9 तक की सीमा तथा मुनारा क्रमांक 9 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
					दक्षिण.—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 15 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
					पश्चिम.—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 17 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			योग :	19.347	
5	बेहटा	गैर वन भूमि	5/1/2	5.895	**उत्तर.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			2	5.978	
			3	2.093	**पूर्व.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 12 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			6	2.093	
			7	4.881	**दक्षिण.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 13 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			8	4.254	
			9	2.090	**पश्चिम.**—प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 17 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			137	7.315	
			योग :	34.599	
			महायोग :	79.261	

वनीकरण का कारण.—उक्त भूमि दानमढ़ी जलाशय परियोजना में दी गई वनभूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरण, नामांतरण एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने से संरक्षित वन बनाये जाने का प्रस्ताव अधिसूचना हेतु तैयार किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ-25-46-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-46-2010-दस-3, दिनांक 2 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 2nd May 2011

No. F-25-46-2010-X-2.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provisions of Chapter IV of the said Act, applicable of the Forest land/waste land specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State

Government from time to time :—

SCHEDULE

District-Vidisha, Division-Vidisha(Territorial), Tehsil-Gyaraspur, Forest Range-Vidisha(Territorial)

S. No.	Name of Forest Block	Name of Forest or waste land	Khasra Number	Area (in Hects.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Suakhedi (A)	Non Forest Land	706/1	4.818	**North**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 5. **East**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 5 to 6. **South**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 6 to 11. **West**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 11 to 13 and 1.
2	Suakhedi (B)	Non Forest Land	721	6.449	**North**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 3. **East**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 3 to 6. **South**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 6 to 11. **West**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 11 to 15 and 1.
			Grand Toral :	**11.267**	

SCHEDULE

District-Vidisha, Division-Vidisha(Territorial), Tehsil-Basoda, Forest Range-Basoda

S. No.	Name of Forest Block	Name of Forest or waste land	Khasra Number	Area (in Hects.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Tabkklpur (Kharpari)	Non Forest Land	377/4/2 382/1	2.760 11.288	**North**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 5. **East**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 5 to 12. **South**.—Artificial boundary line from

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					proposed forest block pillar number 12 to 19. **West**.—boundary line of compartment number P-551 from proposed forest block pillar number 19 to compartment's pillar number 8,7,6 on eastern boundary of compartment number p-551 and proposed forest block pillar number 20. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 20 to 22. Boundary line of compartment number P-551 from proposed forest block pillar number 22 to comartment's pillar number 5, 4 on eastern boundary of compartment number P-551 and proposed forest block pillar number 1.
			Toral :	**14.048**	
4	Raghunathpur II	Non Forest Land	90 93/1 93/2 94	9.199 2.000 4.773 3.375	**North**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 2 and compartment's pillar number 11 on southern boundary of compartment number P-551.Boundary line of compartment from pillar number 11 to 10 of compartment number P-551. **East**.—Boundary line compartment from pillar number 10 to 9 of compartment number P-551 and Artificial boundary line from pillar number 6 to proposed forest block pillar number 3. **South**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 3 to 15. **West**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 15 to 17 and 1.
			Toral :	**19.347**	
5	Behta	Non Forest Land	5/1/2 2 3 6 7 8	5.895 5.978 2.093 2.093 4.881 4.254	**North**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 5 **East**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 5 to 12.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			9	2.090	**South**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 12 to 13.
			137	7.315	**West**.—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 13 to 17 and 1.
			Total :	**34.599**	
			Grand Total :	**79.261**	

Reason for afforestation—Above land has been allotted and transferred to Forest Department for carrying out compensatory aforestation in exchange of equal area of Danmorhi Tank Project in forest area. Notification proposal for protected forest has been prepared.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

क्र. एफ-5-77-98-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वन भूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों एवं समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—मालथौन, वनमंडल—उत्तर सागर (सामान्य), वनपरिक्षेत्र—बांदरी

क्र.	वनखण्ड का नाम	वन या बंजर भूमि का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चनारी	छोटा घांस गांव चनारी पटवारी हल्का क्रमांक 117	177	2.00	**उत्तर.**—आरक्षित वनखण्ड 87 मालथौन की दक्षिण पश्चिम सीमा पर मुनारा क्रमांक 276 एवं 277 के मध्य नवीन मुनारा क्र. 1 **पूर्व.**—आरक्षित वनखण्ड 87 मालथौन की दक्षिण पश्चिम सीमा पर मुनारा क्रमांक 276 एवं 277 के मध्य नवीन मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्रमांक 277 एवं 278 के मध्य नवीन मुनारा क्रमांक. 2 तक एवं नवीन मुनारा 2 से 3 तक कृत्रिम सीमा **दक्षिण.**—नवीन मुनारा क्रमांक 3. **पश्चिम.**—नवीन मुनारा क्रमांक 3 से 4 एवं आरक्षित वनखण्ड 87 मालथौन की दक्षिण पश्चिम सीमा पर मुनारा क्रमांक 276 एवं 277 के मध्य नवीन मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम सीमा.

अधिसूचना का कारण.—राजस्व भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 2.00 हेक्टेयर श्री रमेश अजमानी फर्शी-पत्थर उत्खनन प्रकरण में समतुल्य वनभूमि के बदले वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने से, भूमि को संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ-5-77-98-दस-3—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-77-98-दस-3, दिनांक 2 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 2nd May 2011

No. F-5-77-98-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest land/waste land, specified in the Schedule below, subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.—

SCHEDULE

District-Sagar, Tehsil-Malthone, Forest Division-North, Sagar (Territorial), Forest Range-Bandri

S. No.	Name of Forest Block	Name of Forest or waste land	Khasra Number	Area (in Hects.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chanari	Chhota Ghas Village Chanari Patwari Halka Number 117	177	2.00	**North**.—New pillar number 01 between pillar number 276 and 277 on South West boundary or Reserved Forest block 87 Malthone. **East**.—New pillar number 01 between pillar number 276 and 277 to new pillar no 02 between pillar number 277 and 278 on South West boundary of Reserved Forest block 87 Malthone and artificial boundary from new pillar number 02 to 03. **South**.—New pillar number 3. **West**.—Artificial boundary from New pillar number 03 to 04 and new pillar number 1 between pillar number 276 and 277 on South West boundary of Reserved Forest block 87 Malthone.

Reason for notification—Revenue land, Khasra number 177 area 2.00 hectare has been allotted and transferred to the Forest Department for carrying out compensatory afforestation in exchange of equal forest area diverted in Shri Ramesh Ajmani Farshi Pathar Mining case to be notified as protected forest.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. 6961-सा.ले.-2011.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 अनुसार गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2, खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विर्निदिष्ट करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए मैं, केदार शर्मा, उपसचिव एवं जिला दण्डाधिकारी खरगोन एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :—

1. नीचे दी गई सारणी में कॉलम (एक) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (दो) में विर्निदिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करता हूं, और

2. सारणी के कॉलम (दो) में विर्निदिष्ट क्षेत्रों को उक्त सारणी के कॉलम (तीन) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित किया जाता है.

अ.क्र.	पुलिस थाने का नाम जिसमें से अपवर्जित किया गया	नाम ग्राम	पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
01	बरुड़	कान्यापानी	भगवानपुरा
02	बरुड़	भुलवान्या	भगवानपुरा
03	बरुड़	मोहना	भगवानपुरा
04	बरुड़	मदनीखुर्द	भगवानपुरा
05	गोगावॉ	गुलझरा	भगवानपुरा
06	गोगावॉ	रसगांगली	भगवानपुरा
07	गोगावॉ	दाउतखेड़ी	भगवानपुरा
08	गोगावॉ	अंजनगॉव	भगवानपुरा
09	गोगावॉ	गढ़ी	भगवानपुरा
10	गोगावॉ	मोगरगॉव	भगवानपुरा
11	गोगावॉ	बागदरा	भगवानपुरा
12	गोगावॉ	खैरकुण्डी	भगवानपुरा
13	गोगावॉ	ममदिया	भगवानपुरा
14	गोगावॉ	ढाबला	भगवानपुरा
15	गोगावॉ	उमरिया	भगवानपुरा
16	भगवानपुरा	धूपा बुर्जुग	चैनपुर
17	भगवानपुरा	कोटबैड़ा	चैनपुर
18	भगवानपुरा	पीड़ीजामली	चैनपुर
19	भगवानपुरा	टाण्डा बावड़ी	चैनपुर
20	भगवानपुरा	सेदरियाघाटी	चैनपुर
21	भगवानपुरा	धुपा बुर्जग	चैनपुर

केदार शर्मा, पदेन उपसचिव एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मंडी), निर्वाचन, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 79-स्था.निर्वा.-2011-मंडी—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिसूचना 1972 की धारा-11 के अन्तर्गत जिला-खण्डवा की कृषि उपज मंडी समिति-74-खण्डवा के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम	विशेष
(1)	(2)	(3)
1	श्री शशिकपूर (विधायक प्रतिनिधि- विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-175 मांधाता) मंडी-खण्डवा.	धारा-11(1)(घ)

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

''निर्वाचन भवन''

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ. 67-221-10-तीन-631.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह

निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत बरही, जिला कटनी** के आम निर्वाचन में **श्री तुकाराम विश्वकर्मा,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत, बरही, जिला कटनी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी के पत्र क्र. 260 ए-व्यय लेखा प्रभारी (स्था.निर्वा.अधि.) दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री तुकाराम विश्वकर्मा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री तुकाराम विश्वकर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी के माध्यम से दिनांक 25 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री तुकाराम विश्वकर्मा को नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उनके द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में दिनांक 8 मार्च 2010 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. अभ्यावेदन में उन्होंने लेख किया कि ''. . . . आवेदक की तबियत खराब होने के कारण निर्वाचन व्ययों एवं लेखा भेजने में विलंब हुआ है. यह कि आवेदक मेडिकल आफिसर, बरही का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत दिनांक 28 जनवरी 2009 से 24 जनवरी 2010 एवं दिनांक 25 जनवरी 2010 से 26 फरवरी 2010 तक प्रमाण-पत्र प्रमाणित प्रस्तुत करता है. जिस कारण से विलंब हुआ है.'' आयोग द्वारा उक्त अभ्यावेदन कलेक्टर, **कटनी** को अभिमत हेतु भेजा गया, जिसके तारतम्य में कलेक्टर, **कटनी** ने अपने पत्र दिनांक 17 मई 2010 में लेख किया कि ''तहसीलदार बरही से प्रतिवेदन लिया गया. प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी **श्री तुकाराम विश्वकर्मा** द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा समय-सीमा के पश्चात् दिनांक 8 मार्च 2010 आयोग को अभ्यर्थी द्वारा भेजा गया है, जबकि आवेदक को 30 दिवस के अंदर व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने के निर्देश थे. तहसीलदार बरही के प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी **श्री तुकाराम विश्वकर्मा** द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार एवं विश्वसनीय योग्य नहीं है.'' उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री तुकाराम विश्वकर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत बरही, जिला कटनी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ. 67-220-10-तीन-633.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत विजयराघवगढ़, जिला कटनी** के आम निर्वाचन में **सुश्री बशीरन बी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत, विजयराघवगढ़, जिला कटनी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटनी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटनी** के पत्र क्र. 260 ए-व्यय लेखा प्रभारी (स्था.निर्वा.अधि.), दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री बशीरन बी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री बशीरन बी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी के माध्यम से दिनांक 19 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री बशीरन बी को नोटिस दिनांक 19 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 4 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर कटनी ने पत्र दिनांक 9 फरवरी 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 8 मार्च 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, कटनी द्वारा दिनांक 28 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री बशीरन बी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत विजयराघवगढ़, जिला कटनी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ. 67-220-10-तीन-634.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत विजयराघवगढ़, जिला कटनी** के आम निर्वाचन में **सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत, विजयराघवगढ़, जिला कटनी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटनी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटनी** के पत्र क्र. 260 ए-व्यय लेखा प्रभारी (स्था.निर्वा.अधि.), दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी के माध्यम से दिनांक 19 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद को नोटिस दिनांक 19 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर कटनी ने पत्र दिनांक 9 फरवरी 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 8 मार्च 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, कटनी द्वारा दिनांक 28 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत विजयराघवगढ़, जिला कटनी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उइके)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2011

प्र. क्र. 12-अ-82-10-11-भू-अ. अ. बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	जटवॉ प.ह.नं. 15/18 नं. बं. 172.	बोरबेल 1 (0.02 हे. में निर्मित)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 पनागर.	मदना वितरण की माइनर क्र. 2 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 2 रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-10-11-भू-अ. अ. बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधि. क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	प्रतापपुर प.ह.नं. 84 नं. बं. 179.	कुआंबोर (0.05 हेक्टे. में निर्मित).	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4 सिहोरा.	खम्हरिया माइनर एवं सब-माइनर क्र. 1, 2 एवं 3 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 2 रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 14-अ-82-10-11-भू-अ. अ.-2 बरगी-हिल्स.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की

धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	बरगी प. ह. नं. 68 नं. बं. 85.	0.13	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4 सिहोरा.	मझौली शाखा नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 7 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	रीठी	वसुधा प.ह.नं. 07.	निजी–11.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कटनी.	वसुधा जलाशय योजना शीर्ष कार्य.
			कुल . .11.94		

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	रमझाला	0.324	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौडी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के चैन क्रमांक 266 से 281 तक का शेष भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर चैन क्र. 266 से 281 का शेष भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय चंदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

छतरपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	महाराजपुर	सिंहपुर	1.500	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नौगांव.	सिंहपुर बैराज परियोजना के पहुंच मार्ग एवं नाला डायवर्सन बावत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के पहुंच मार्ग एवं नाला डायवर्सन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 4 मई 2011

प्र. क्र. 11-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	कटहरा	4.180	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	लौड़ी	7.480	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	रतनपुर	4.070	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	रनमऊ	1.980	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	देवपुर	2.310	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	मड़वा	2.750	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	वगमऊ	6.160	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	देबीखेड़ा	2.860	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	मुड़ेरी	1.925	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	नगरौली	3.860	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. 3399-भू-अर्जन-3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2)द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़/हे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	सिराली	5.65 एकड़ 2.288 हे.	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	उप-मंडी सिराली के विस्तार एवं स्वतंत्र मंडी के निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

नोट:—भूमि का नक्शा, (प्लान) आदि अपर कलेक्टर, हरदा/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली ए. आर.,कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 1146-भू-अर्जन-रीडर-1-2011-प्र. क्र.-01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	रामसिंह की चौकी	6.24	कार्यपालन यंत्री, एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, संभाग धार.	एम. पी. हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड दण्डाधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. 20-अ-82-2007-08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	गोंधारी	सर्वे क्र.	रकवा	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आव नहर के 13 आर. शाखा एवं 2 आर. शाखा का निर्माण कार्य.
			448	0.167		
			451	0.015		
			457	0.418		
			योग . .	0.600		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 21-अ-82-2007-08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	गोहिंदा	सर्वे क्र.	रकवा	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आव नहर के 13 आर. शाखा एवं 2 आर. शाखा का निर्माण कार्य.
			593 मिन	0.146		
			609/2	0.104		
			619/4	0.230		
			योग . .	0.480		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 22-अ-82-2007-08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	बासोडी	सर्वे क्र.	रकवा	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आव नहर के 12 आर. शाखा का निर्माण ए
			1064	0.273		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 28 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 10-भू-अर्जन-10-11-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची क्र. (2) दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल हे. में.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विदिशा	विदिशा	विदिशा	2161/2/1 300 Sq. Mt.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विदिशा.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नाला निर्माण हेतु भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. 2126-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	पाली	सलैया मेढ़की	8.029 8.068 योग: 16.097	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया मध्यप्रदेश.	बरूहा जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली आराजियों के अधिग्रहण बावत.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरूहा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र.-भू-अर्जन-11-108.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शाजापुर	रथभंवर	10.63 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग शाजापुर.	रथभंवर तालाब डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जाता सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 657-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बघमरा	4.680	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 659-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	मुसउआ	2.011	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 661-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	धांधी	1.200	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 663-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बड़ागांव	1.531	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 665-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	करौंदी	3.043	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर एवं बघमरा माइनर नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 667-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	महाडांडी	5.652	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर एवं महाडांडी माइनर नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 669-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पांती	8.040	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांती माइनर एवं महाडांढ़ी माइनर नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 671-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	हरदी	3.816	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 673-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	उमरी	1.440	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 675-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	अमिरती	5.328	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 677-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बेला	3.912	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 679-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बौलिहा	0.624	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. 705-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बड़ागांव	12.756	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 707-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	मझगवां	2.19	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1 रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 709-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	रक्सहा	8.562	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 711-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	सहलोलवा	6.492	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

रीवा, दिनांक 5 मई 2011

क्र. 736-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम खैर मुडियारी सब माइनर नं. 1	5.00	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली की मुडियारी सब माइनर नं.-1 उप शाखा नहर क्र.-1 निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 738-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मझियार	0.8	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के मुड़ियारी माइनर एवं सब माइनर नं.1 0.8 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 2 मई 2011

क्र.-क्यू.-भू-अर्जन-2011-4769.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार सभी

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	शिवपुरी	गिरमोरा	88	0.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	गुरीला तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.
			89	0.95		
			90	0.17		
			91	0.26		
			129	2.57		
			130/2	0.60		
			190	0.60		
			191	2.74		
			194/1	1.31		
			194/2	1.50		
			196	3.01		
			199	2.01		
			200	2.01		
			201	1.73		
			202	1.17		
			203	0.01		
			204	0.78		
			205	0.32		
			210	1.00		
			211	1.50		
			214/1	0.10		
			216	0.71		
			218	1.29		
			219	2.10		
			220	2.53		
			221	0.62		
			222	5.05		
			223/1	0.32		
			223/2	0.63		
			224	0.45		
			225	0.42		
			228	0.19		
			229	0.55		
			230	2.07		
			231/1	1.68		
			231/2	0.84		
			232	0.28		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			233	0.47		
			234/1	0.53		
			234/2	1.00		
			235	0.76		
			236	0.48		
			214/2	0.30		
			214/3	0.06		
			179	0.42		
			183	0.10		
				योग . .48.76		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 3 मई 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र.-44-अ-82-10-11-नस्ती क्रमांक 69-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बीड़	1.13	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-45-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 72-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के

उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोडियाखेड़ा	2.99	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-46-अ-82-10-11-नस्ती क्रमांक 73-2011 एल. ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	गोराड़िया	14.03	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-47-अ-82-10-11-नस्ती क्रमांक 68/2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के

उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	भैंसावा	15.95	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-48-अ-82-10-11-नस्ती क्रमांक 67/2011-एल.ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सहेजला	17.61	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 3 मई 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-3210.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	बिसनूर	0.110	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	पचधार लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-3211.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	पचधार	9.248	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	पचधार लघु जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 5 मई 2011

क्र. 01-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 से 4)) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा-17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक योजना
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	(हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	बैरसिया	धतुरिया	3 में से	0.08	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी, संभाग गंजबासौदा.	संजय सागर (बाह) परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
			4 में से	0.08		
			37 में से	0.31		
			38 में से	0.13		
			48 में से	0.34		
			90 में से	0.24		
			93 में से	0.25		
			94 में से	0.42		
			113 में से	0.13		
			114 में से	0.24		
			144/1 में से	0.07		
			144/2 में से	0.21		
			153/2 में से	0.03		
			154/2 में से	0.025		
			232 में से	0.02		
			242 में से	0.04		
			243 में से	0.15		
			244 में से	0.25		
			246 में से	0.056		
			647 में से	0.02		
			671 में से	0.02		
			679 में से	0.155		
			681 में से	0.23		
			689 में से	0.97		
			कुल योग . .	4.466		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु-विभागीय अधिकारी, कार्यालय (राजस्व), बैरसिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 3 मई 2011

प्र. क्र.-12-अ-82-वर्ष-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	रीठी	बडगांव	निजी-0.80	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.	बोरीना नाला पुल एवं पहुंच मार्ग.
		प.ह.नं.02/4	कुल-0.80		

1. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

–: अधिसूचना :–

क्रमांक– 3777/दस/भू–अर्जन/2011 अनूपपुर, दिनांक 07 मई 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोकहित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दर्शाए अनुसार ताप विद्युत परियोजना के लिए आवश्यकता है । अतः भू–अर्जन अधिनियम 1894 (क्र0 एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा–4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 (क) के उपबंध एवं भू–अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन–

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हे0 में	धारा–4 को उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	कम्पनी प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
अनूपपुर	कोतमा	मझटोलिया	119.028	भू–अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना ।
योग–			119.028		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर की भू–अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा जिला– अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड, 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भूमि खाताधारकों की सूची

ग्राम मझटोलिया

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सुकदेव पिता बिन्दा सा. छतई	पनिका	1	1.056	
2	मोहन, रामदयाल, रामलाल, श्यामलाल पिता रामस्वारथ	कोल	2/1	7.134	
3	प्रताप पिता धरम सिंह	गोंड़	2/2	0.526	
4	सुन्दर पिता राममिलन	केवट	3	0.166	
5	भरतकिशोर पिता धनपत	साहू	4/1	0.455	
6	रामखेलावन, देवीदास पिता सम्पत सा. छतई	तेली	4/2	0.202	
7	रामगोपाल, लेखन पिता गनपत	तेली	4/3	0.081	
8	देवीदास पिता सम्पत सा. छतई	साहू	4/4	0.457	
9	रामखेलावन पिता सम्पत सा. छतई	साहू	5/1	0.405	
10	छोटेलाल पिता भागवत सा. छतई	साहू	5/2	0.508	
11	भरतकिशोर पिता धनपत	साहू	5/3क	0.116	
12	रामखेलावन पिता देवशरण सा. छतई	तेली	5/3ख	0.571	
13	रामगोपाल, लेखन पिता गनपत	तेली	5/4	0.694	
14	देवीदास पिता सम्पत सा. छतई	तेली	5/5	0.246	
15	सियाराम, दयाराम, जयकरन, इन्द्रनिया, लक्ष्मनिया, आशा पिता जीवनदास, प्रमाबाई बेवा जीवनदास, सुदामा पिता मोहन सा. तरसिली	तेली	6	0.057	
16	मती बेवा स्वामीदीन, बलराम, मनराज, रामकलिया, शकुंतला पिता स्वामीदीन	केवट	8	2.432	
17	सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, मीरा, उमा पिता रामनाथ	अहीर	9	0.284	
18	सियाशरण पिता लालू	केवट	10	4.217	
19	शुद्धू, दददा पिता तीरू, छुग्गुन पत्नी ननददिया सहसराम, दीपनारायण, दसोदिया, उर्मिला पिता ननददिया, रामदीन पिता मंधारी, देववती बेवा जीवन, समाजी लाल, ओंकार, किरन, रामसुहावन पिता जीवन	केवट	11	2.468	
20	सहसराम पिता नंदसिया सा. छतई	केवट	12	0.316	
21	दददा, शुद्धू पिता टीडू, दुअसिया, पिता मीरू सा. छतई	केवट	13	0.267	
22	मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	14/1	0.089	
23	मुहर्रम पिता कल्लन सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	14/2	0.219	
24	दददा, शुद्धू पिता टीडू, दुअसिया, पिता मीरू सा. छतई	केवट	15	1.072	
25	मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	16/1	0.134	
26	मुहर्रम पिता कल्लन सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	16/2	0.133	
27	गल्लू, रामदीन पिता दसरू सा. तरसिली	तेली	17	0.405	
28	रामबहोर, भरतकिशोर पिता धनपत सा. छतई	तेली	18/2	0.405	
29	गल्लू पिता दसरू सा. तरसिली	तेली	20/2	0.202	
30	सुन्दर पिता राममिलन	केवट	21	0.121	
31	गल्लू, रामदीन पिता दसरू सा. तरसिली	तेली	22/1क/1	0.426	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
32	शंकर पिता रामनाथ	अहीर	22/1क/2	0.180	
33	बूदन पति रामचरण सा. तरसिली	तेली	22/1ख	0.405	
34	रामबहोर पिता दसरू सा. तरसिली	तेली	22/2	0.438	
35	रामसेवक पिता परसादी सा. तरसिली	केवट	22/3	0.364	
36	मोहन, राममिलन, छोटू पिता तिहारू सा. उमरदा	तेली	22/4	0.817	
37	दद्दा, शुद्धू पिता टीडू, दुअसिया, पिता मीरू सा. छतई	केवट	23	0.061	
38	तारावती बेवा हीरालाल, अंगद, लखन, रामफल, सुमन, सुषमा पिता हीरालाल, बाबूराम, दयाराम, गीता, सुशीला पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा	ब्रा0	24	0.061	
39	मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	25/1	0.065	
40	मुहर्रम पिता कल्लन सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	25/2	0.065	
41	दद्दा, शुद्धू पिता टीडू, दुअसिया, पिता मीरू सा. छतई	केवट	26	0.150	
42	समाजीलाल पिता जीवनराम सा. छतई	केवट	27/1	0.275	
43	मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	27/2	0.113	
44	मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	28/1	0.344	
45	मुहर्रम पिता कल्लन सा. छतई	सांई (मुस्लिम)	28/2	0.121	
46	शुद्धू, दद्दा पिता तीरू, छुग्गुन पत्नी ननददिया सहसराम, दीपनारायण, दसोदिया, उर्मिला पिता ननददिया, रामदीन पिता मंधारी, देववती बेवा जीवन, समाजी लाल, ओंकार, किरन, रामसुहावन पिता जीवन	केवट	29	0.154	
47	सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, मीरा, उमा पिता रामनाथ	अहीर	30	0.329	
48	दुअसिया बेवा चरकू, ददन, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली	तेली	31	1.023	
49	तेरसिया पति गल्लू, दुअसिया, दुर्गेश, सेमवती, पुनिया, विमला रानी पिता गल्लू	केवट	32/1	0.182	
50	रोहणी बाई पुत्री धनुआ	केवट	32/2	0.182	
51	लक्ष्मी कुमारी बेवा विष्णु कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह पिता विष्णु कुमार, शिव कुमार सिंह, प्रज्ञान्त सिंह, विक्रान्त सिंह, नीलमणि सिंह, मीनाक्षी पिता सूर्य कुमार सिंह, प्रभादेवी बेवा चन्द्र कुमार सिंह, संजीव, शावित्री पिता चन्द्र कुमार सिंह सा. कोठी	क्षत्री	33	0.089	
52	सुन्दर पिता राममिलन	केवट	34	0.162	
53	दुअसिया बेवा चरकू ददन्ना, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली	तेली	35	0.065	
54	लक्ष्मी कुमारी बेवा विष्णु कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह पिता विष्णु कुमार, शिव कुमार सिंह, प्रज्ञान्त सिंह, विक्रान्त सिंह, नीलमणि सिंह, मीनाक्षी पिता सूर्य कुमार सिंह, प्रभादेवी बेवा चन्द्र कुमार सिंह, संजीव, शावित्री पिता चन्द्र कुमार सिंह सा. कोठी	क्षत्री	36	0.134	
55	तीरथ प्रसाद पिता चुन्नू सा. उमरदा	अहीर	37	0.348	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
56	सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, मीरा, उमा पिता रामनाथ	अहीर	38	0.906	
57	दुअसिया बेवा चरकू, ददन, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली	तेली	39/1	0.712	
58	प्रताप पिता धरम सिंह	गोंड़	39/2	0.283	
59	बाबूराम, दयाराम, सुशीला, गीता पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा	ब्रा0	40/1	1.024	
60	मोहन, राममिलन, छोटू पिता तिहारू सा. उमरदा	तेली	40/2	0.729	
61	मोगिया बेवा गुमान, तिजिया बाई पुत्री गुमान, मंती बेवा मोहन, नीरज कुमार, गेंदलाल, तारावती, दुलई, रजनी पिता मोहन, राधा बेवा भीमसेन	केवट	41	0.202	
62	बुद्धसेन पिता शिवचरण	केवट	42	0.162	
63	हिरौदिया पिता रामचरण	केवट	43	0.142	
64	छोटू पिता रेदवा	केवट	44	0.093	
65	सुन्दर पिता राममिलन	केवट	45	0.243	
66	श्यामलाल पिता चन्दू सा. उमरदा	पनिका	46	0.914	
67	श्यामलाल पिता चन्दू सा. उमरदा	पनिका	47	0.372	
68	तारावती पति हीरालाल सा. उमरदा	ब्रा0	48	1.619	
69	मु. मायावती बेवा छोटेलाल, श्यामलाल पिता छोटेलाल सा. उमरदा	कवंर	49	0.190	
70	नानदास, भागीरथी पिता गुलेला	केवट	50	0.611	
71	तारावती पति हीरालाल सा. उमरदा	ब्रा0	51	0.214	
72	सियाराम, दयाराम, जयकरन, इन्द्रनिया, लक्ष्मनिया, आशा पिता जीवनदास, प्रमाबाई बेवा जीवनदास, सुदामा पिता मोहन सा. तरसिली	तेली	52/1	1.736	
73	करतार सिंह पिता भैयालाल सिंह सा. उमरदा	कवंर	52/2	0.433	
74	मोहन पिता धीनू	तेली	52/3	0.324	
75	मिठाईलाल पिता फेकू सा. तरसिली	तेली	52/4	0.506	
76	तारावती पति हीरालाल सा. उमरदा	ब्रा0	53	0.684	
77	करतार सिंह पिता भैयालाल सिंह सा. उमरदा	कवंर	54	0.922	
78	ध्यानसाय पिता बुद्धू	केवट	56	0.328	
79	तेरसिया पति गल्लू, दुअसिया, दुर्गेश, सेमवती, पुनिया, विमला, रानी पिता गल्लू	केवट	57/1	0.609	
80	रोहणी बाई पुत्री धनुआ	केवट	57/2	0.609	
81	रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा, कोशी पिता सहदेव, बाबूलाल, छोटेलाल, भईयालाल, चन्द्रशेखर, सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई	केवट	58	0.344	
82	सोभनाथ पिता लालू	केवट	59/1	0.473	
83	सियाशरण पिता लालू	केवट	59/2	0.405	
84	रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा, कोशी पिता सहदेव, बाबूलाल, छोटेलाल, भईयालाल, चन्द्रशेखर, सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई	केवट	60/1	0.688	
85	बब्बू पिता शिवचरण	केवट	60/2	0.121	
86	तेरसिया पति गल्लू, दुअसिया, दुर्गेश, सेमवती, पुनिया, विमला रानी पिता गल्लू	केवट	61/1	0.164	
87	रोहणी बाई पुत्री धनुआ	केवट	61/2	0.164	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
88	भईयालाल पिता शिवचरण	केवट	62/1	0.226	
89	बब्बू पिता शिवचरण	केवट	62/2	0.224	
90	भोला पिता शिवचरण	केवट	62/3	0.226	
91	रामदास पिता शिवचरण	केवट	62/4	0.226	
92	सेमवती बेवा रामधनी, चिरौजिया, पार्वती, भागवती, शीरू बाई, भीखम, लक्ष्मी पिता रामधनी	केवट	63	0.182	
93	शोभनाथ पिता लालू	केवट	64	0.769	
94	रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा, कोशी पिता सहदेव, बाबूलाल, छोटेलाल, भईयालाल, चन्द्रशेखर, सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई	केवट	65/1	2.955	
95	चन्द्रशेखर पिता रामनाथ	केवट	65/2	0.920	
96	लखनराम पिता हीरालाल	ब्रा0	66/1	1.284	
97	अंगद पिता हीरालाल	ब्रा0	66/2	1.998	
98	बाबूराम, दयाराम, सुशीला, गीता पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा	ब्रा0	67/1	2.767	
99	तारावती बेवा हीरालाल, अंगद, लखन, रामफल, सुमन, सुषमा पिता हीरालाल, बाबूराम, दयाराम, गीता, सुशीला पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा	ब्रा0	68	0.462	
100	तीरथ प्रसाद पिता चुन्नू सा. उमरदा	अहीर	69	3.889	
101	रामरतन पिता मीरू, बंशधारी, ईसन पिता गोरेलाल	पनिका	70	0.672	
102	लक्ष्मी कुमारी बेवा विष्णु कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह पिता विष्णु कुमार सिंह, शिव कुमार, चन्द्र कुमार सिंह, मिथलेश कुमारी बेवा सूर्य कुमार सिंह, प्रज्ञान्त सिंह, विक्रान्त सिंह, नीलमणि, मिनाक्षी, वंदना सिंह पिता सूर्य कुमार सिंह	क्षत्री	71	1.343	
103	मोगिया बेवा गुमान, तिजिया बाई पुत्री गुमान, मंती बेवा मोहन, नीरज कुमार, गेंदलाल, तारावती, दुलई, रजनी पिता मोहन, राधा बेवा भीमसेन	केवट	72	0.340	
104	बुद्धसेन पिता शिवचरण	केवट	73/1	0.170	
105	मुन्नी बेवा हेतराम, सोनू पिता हेतराम	केवट	73/2	0.170	
106	मोलिया बेवा रामचरण, हिरौदिया पुत्री रामचरण	केवट	74	0.340	
107	सुन्दर पिता राममिलन	केवट	75	0.405	
108	नानदास पिता गुलेला	केवट	76/1	0.419	
109	ध्यानसाय पिता बुद्धू	केवट	76/2	0.418	
110	बूटी बाई बेवा जमीर अली, ललन, रेशमा पिता जमीर अली	सांई (मुस्लिम)	77	0.433	
111	बिन्दू पिता लेघवा	केवट	78/1	0.054	
112	नान्हू पिता चन्दू	केवट	78/2	0.124	
113	डोमारी पिता घुरई सा. उमरदा	पाव	79	0.890	
114	बेसाहू पिता राममिलन	केवट	80	0.890	
115	शोभनाथ पिता लालू	केवट	82	0.809	
116	रामसेवक पिता परसादी सा. तरसिली	केवट	83	0.089	
117	शीतल, नानदाऊ, नानकुनी मॉ ननटोरिया	पाव	84	0.607	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
118	सुन्दर पिता राममिलन	केवट	85	0.336	
119	शोभनाथ पिता लालू	केवट	86	1.149	
120	बिन्दू पिता लेघवा	केवट	87/1	0.036	
121	नान्हू पिता चन्दू	केवट	87/2	0.053	
122	ठेगरू पिता चन्दू	केवट	87/3	0.135	
123	नान्हू पिता चन्दू	केवट	87/4	0.020	
124	सुन्दर पिता राममिलन	केवट	87/5	0.132	
125	ध्यानसाय पिता बुद्धू	केवट	88	0.162	
126	अगसिया बेवा नानदास	केवट	89/1	0.583	
127	शोभनाथ पिता लालू	केवट	89/2	0.364	
128	सकुन्तला पिता शोभनाथ	केवट	89/3	0.364	
129	मती बेवा स्वामीदीन, बलराम, मनराज, रामकलिया, शकुंतला पिता स्वामीदीन	केवट	90	0.129	
130	रामदीन पिता लालू	केवट	91	0.975	
131	अनन्तराम पिता रामकुमार	ब्रा0	92	0.417	
132	नानदास पिता गुलेला	केवट	93/1	0.138	
133	ध्यानसाय पिता बुद्धू	केवट	93/2	0.137	
134	मोगिया बेवा गुमान, तिजिया बाई पुत्री गुमान, मंती बेवा मोहन, नीरज कुमार, गेंदलाल, तारावती, दुलई, रजनी पिता मोहन, राधा बेवा भीमसेन	केवट	94	0.170	
135	अमीर अली पिता रहमत अली	सांई (मुस्लिम)	95	0.364	
136	अमीर अली पिता रहमत अली सा. धतई	सांई (मुस्लिम)	96	0.445	
137	मु. मोलिया बेवा रामचरण, हिरौदिया पुत्री रामचरण	केवट	97	0.243	
138	मोगिया बेवा गुमान, तिजिया बाई पुत्री गुमान, मंती बेवा मोहन, नीरज कुमार, गेंदलाल, तारावती, दुलई, रजनी पिता मोहन, राधा बेवा भीमसेन	केवट	98	1.364	
139	मती बेवा स्वामीदीन, बलराम, मनराज, रामकलिया, शकुंतला पिता स्वामीदीन	केवट	99	0.182	
140	रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा, कोशी पिता सहदेव, बाबूलाल, छोटेलाल, भईयालाल, चन्द्रशेखर, सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई	केवट	100	1.664	
141	सियाशरण पिता लालू	केवट	101	0.308	
142	स्वामीदीन पिता अमोली	केवट	102	0.445	
143	सियाशरण पिता लालू	केवट	103	0.308	
144	रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा, कोशी पिता सहदेव, बाबूलाल, छोटेलाल, भईयालाल, चन्द्रशेखर, सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई	केवट	104	1.048	
145	रामदीन पिता लालू	केवट	106	1.084	
146	मु. मायावती बेवा छोटेलाल, श्यामलाल पिता छोटेलाल सा. उमरदा	कवंर	107	1.181	
147	कृष्णपाल सिंह पिता पूरन सिंह सा. उमरदा	कवंर	108	0.761	
148	श्यामलाल पिता चन्दू सा. उमरदा	पनिका	109	1.056	
149	बूटी बाई बेवा जमीर अली, ललन, रेशमा पिता जमीर अली	सांई (मुस्लिम)	110	0.405	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
150	बिन्दू पिता लेघवा	केवट	111/1	0.162	
151	नान्हू पिता चन्दू	केवट	111/2	0.567	
152	जगदिसिया बेवा गंगा, नीलकंठ, ओंकरण पिता गंगा	केवट	111/3	0.416	
153	ध्यानसाय पिता बुद्धू	केवट	112	0.579	
154	कृष्णपाल सिंह पिता पूरन सिंह सा. उमरदा	कवंर	113	0.595	
155	बाबूराम पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा	ब्रा0	114	0.433	
156	तारावती बेवा हीरालाल, अंगद, लखन, रामफल, शुमन, सुषमा पिता हीरालाल, बाबूराम, दयाराम, गीता, सुशीला पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा	ब्रा0	115	0.757	
157	मूर्ति बाई बेवा ददऊ सिंह, मनकेश्वर, दरबारी सिंह, संतोष सिंह पिता ददऊ सिंह	कवंर	116	0.409	
158	सोनिया बेवा रघुनाथ, रामगोपाल, तेरसिया पिता रघुनाथ	केवट	117	0.235	
159	ध्यानसाय पिता बुद्धू	केवट	118	0.219	
160	छोटू पिता रेदवा	केवट	119/1	0.764	
161	दयाराम पिता जागेश्वर	केवट	119/2	0.243	
162	देवीदीन उर्फ फगुना पिता जागेश्वर	केवट	120	0.235	
163	मु. मायावती बेवा छोटेलाल, श्यामलाल पिता छोटेलाल सा. उमरदा	कवंर	121	0.474	
164	मूर्ति बाई बेवा ददऊ सिंह, मनकेश्वर, दरबारी सिंह, संतोष सिंह पिता ददऊ सिंह	कवंर	122	0.611	
165	मु. मायावती बेवा छोटेलाल, श्यामलाल पिता छोटेलाल सा. उमरदा	कवंर	123	1.091	
166	नानबाई बेवा रामसेवक, भीमसेन, अर्जुन, रामदास, सहदेव पिता रामसेवक	केवट	125/1	1.137	
167	देवीदीन उर्फ फगुना पिता जागेश्वर	केवट	125/2/क	0.202	
168	दयाराम पिता जागेश्वर	केवट	125/2/ख	0.911	
169	कृष्णपाल सिंह पिता पूरन सिंह सा. उमरदा	कवंर	126	1.769	
170	नानबाई बेवा रामसेवक, भीमसेन, अर्जुन, रामदास, सहदेव पिता रामसेवक	केवट	127	0.376	
171	प्रीतम पिता वंशस्वरूप	अहीर	128	0.267	
172	नानदास पिता गुलेला	केवट	129	0.202	
173	तेरसिया पति गल्लू, दुअसिया, दुर्गेश, सेमवती, पुनिया, विमला रानी पिता गल्लू	केवट	130/1	0.324	
174	रोहणी बाई पुत्री धनुआ	केवट	130/2	0.324	
175	सुखलाल पिता बेसाहन	गोंड़	131	0.324	
176	नंदलाल पिता लालू सा. उमरदा	तेली	132/1	2.145	
177	नानबाई बेवा रामसेवक, भीमसेन, अर्जुन, रामदास, सहदेव पिता रामसेवक	केवट	132/2	0.566	
178	देवीदीन उर्फ फगुना पिता जागेश्वर	केवट	132/3क	0.101	
179	दयाराम पिता जागेश्वर	केवट	132/3ख	0.101	
180	मती बेवा स्वामीदीन, बलराम, मनराज, रामकलिया, शकुंतला पिता स्वामीदीन	केवट	133	1.149	
181	छोटू पिता रेदवा	केवट	134	0.146	
182	मूर्ति बाई बेवा ददऊ सिंह, मनकेश्वर, दरबारी सिंह, संतोष सिंह पिता ददऊ सिंह	कवंर	135	1.886	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
183	कृष्णपाल सिंह पिता पूरन सिंह सा. उमरदा	कवंर	136	0.809	
184	श्यामलाल पिता चन्दू सा. उमरदा	पनिका	137 अंश भाग	1.942	
185	मु. जमुनी बेवा भद्दू, गोपाल, लालाराम, नरेश पिता भद्दू	केवट	139	0.263	
186	लालू पिता मथुरा	तेली	147/1 अंश भाग	1.412	
187	कोला पिता बीरबल सा. उमरदा	तेली	147/2	0.545	
188	चौरसिया पिता रामदास सा. उमरदा	तेली	147/3क	0.133	
189	रामखेलावन पिता देवशरण	साहू	147/3ख	0.809	
190	माधवी पति नर्मदा	केवट	148	0.251	
191	चौरसिया पिता रामदास सा. उमरदा	तेली	150/1	0.061	
192	लालू पिता मथुरा सा. उमरदा	तेली	150/2	0.057	
193	मोलिया बेवा रामचरण, हिरौदिया पुत्री रामचरण	केवट	151	0.587	
194	सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, मीरा, उमा पिता रामनाथ	अहीर	152	0.348	
195	लक्ष्मी कुमारी, शियाबाई पिता ददई सिंह	कवंर	153 अंश भाग	0.705	
196	लक्ष्मी कुमारी, शियाबाई पिता ददई सिंह	कवंर	154 अंश भाग	0.607	
197	ध्यानसाय पिता बुद्धू	केवट	155	0.607	
198	लक्ष्मी कुमारी, शियाबाई पिता ददई सिंह	कवंर	164 अंश भाग	0.796	
	कुल 198 किता			**119.028**	

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

–: अधिसूचना :–

क्रमांक–3178 /दस/भू–अर्जन/2011 अनूपपुर, दिनांक 07 मई 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोकहित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दर्शाए अनुसार ताप विद्युत परियोजना के लिए आवश्यकता है । अतः भू–अर्जन अधिनियम 1894 (क्र0 एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा–4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 (क) के उपबंध एवं भू–अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन–

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हे0 में	धारा–4 को उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	कम्पनी प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
अनूपपुर	कोतमा	उमरदा	131.730	भू–अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना ।
योग–			131.730		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर की भू–अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा जिला– अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड, 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भूमि खाताधारकों की सूची

ग्राम उमरदा

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	बाबूलाल पिता रामनाथ सा. छतई	केवट	1/1	0.405	
2	मोहन पिता रामलाल	केवट	1/2	0.578	
3	भईयालाल पिता रामनाथ सा. छतई	केवट	2	1.218	
4	गंगा, मोलई पिता सहदेव	केवट	3	1.437	
5	द्विजोत्तम, गोकरण पिता रामशरण	ब्रा0	4	0.320	
6	द्विजोत्तम, गोकरण पिता रामशरण	ब्रा0	5	0.478	
7	जेठू पिता चटरिहा सा. तरसिली	आगरिया	6	1.133	
8	छोटा, लल्ला, बूटी पिता मनोहरा	कोल	7/1/क	0.696	
9	कुवांरा पुत्री डोमारी	कोल	7/1/ख	0.405	
10	सम्हारू पिता रामदीन	कोल	7/2	1.092	
11	कोदुआ पिता कोला सा.तरसिली	तेली	8/1 क	0.053	
12	भईयालाल पिता रामनाथ	केवट	8/1 ख	0.433	
13	नत्थूलाल, संतोष, बुल्ली, ननदईया पिता सोनवा सा. तरसिली	तेली	8/2	0.485	
14	बुद्धू, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ला पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा	तेली	9/1	1.251	
15	रामचरण पिता रामदीन, रामकरण पिता रामबहोर	तेली	9/2	1.724	
16	भैयालाल पिता धनीराम सा. कमरान टोला	कंवर	10	1.552	
17	तीरथप्रसाद पिता चुन्नू	अहीर	11/1	0.097	
18	रामचरण पिता जहलू सा.तरसिली	तेली	11/2	0.745	
19	खुमान पिता धीनू सा. छतई	तेली	13	0.441	
20	छोटेलाल पिता बैजू सा. भलमुड़ी	कोल	14/1 क	0.219	
21	बैसाखू पिता देवीदीन सा. चंदरौठी	पाव	14/1ख	0.809	
22	दादूराम, पूरन पिता गुलेला मु.लीलावती बेवा रघुवर, लेखन, राकेश नाबा.सर. मॉ लीलावती पिता गुलेला	गोंड	14/2	0.405	
23	सोनकुंवर पति मोहन, गुड़िया, रानी, उर्मिला, इन्द्रजीत, रोहित पिता मोहन	पनिका	15	0.890	
24	गन्नू पिता धीनू, फूलमती पुत्री धीनू सा. तरसिली	पाव	16/2	1.214	
25	बुद्धू, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ला, रामकली पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा	तेली	19/1	1.486	
26	रामचरण पिता रामदीन, रामकरण पिता रामबहोर	तेली	19/2	0.534	
27	जवाहिर पिता शनिचरा सा. गुलीडांड़	पाव	20/2	1.619	
28	मु. बिकनी पुत्री बन्जी सा. चंदरौठी	पाव	21	1.497	
29	कुवांरा पुत्री डोमारी	कोल	22/1	0.178	
30	सम्हारू पिता रामधीन	कोल	22/2	0.178	
31	छोटा, लल्ला, बूटी पिता मनोहरा	कोल	24	0.603	
32	छोटा, लल्ला, बूटी पिता मनोहरा	कोल	25/1	0.461	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
33	सम्हारू पिता रामाधीन	कोल	25/2 क	1.675	
34	नवल सिंह पिता जैतराम, सा. मझौली	गोंड़	25/2 ख	0.809	
35	छोटा, लल्ला, बूटी पिता मनोहरा	कोल	25/3 क	0.405	
36	सुन्दरलाल पिता सम्मल सा. तरसिली	पाव	25/3 ख	0.809	
37	कुवांरा पुत्री डोमारी	कोल	25/4	0.405	
38	मोहन, रामदयाल, मुन्ना, छोटू पिता रामस्वारथ सा. तरसिली	कोल	25/5	0.405	
39	ददोली पिता मल्हा	कोल	26	0.283	
40	श्यामलाल पिता नारायण सा. तरसिली	कुम्हार	27/2	0.607	
41	रामबहोर पिता दशरू सा. तरसिली	तेली	28	0.862	
42	लल्लाराम पिता दशरथ सा. तरसिली	तेली	29/1	0.737	
43	नत्थूलाल, संतोष, बुल्ली, ननदईया पिता सोनवा सा. तरसिली	तेली	29/2	0.433	
44	बुद्धू, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना सा. तरसिली	तेली	30	0.150	
45	तीरथ प्रसाद पिता चुन्नू	अहीर	31	0.105	
46	बुद्धू, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ली, रामकली पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा	तेली	32/1	0.109	
47	लल्लाराम पिता दशरथ	तेली	32/2	0.262	
48	रामदीन पिता दसरू	तेली	33	0.251	
49	सम्पत पिता चैतू	अगरिया	34	0.259	
50	बुद्धू पिता ददना सा. तरसिली	तेली	35/1	0.422	
51	गल्लू पिता दशरू सा. तरसिली	तेली	35/2	0.210	
52	नंदौवा पिता धनीराम	कंवर	36	0.182	
53	शिवकुमार पिता जैराम ना.बा.सर. पिता जैराम पिता गोरा	बैगा	37	1.053	
54	कोदुआ पिता कोला	तेली	38	0.113	
55	आशादेवी पुत्री ललोत्तर सिंह	गोंड़	39	0.841	
56	ललोत्तर सिंह पिता बोड़ई सिंह	कंवर	40	1.803	
57	आशादेवी पुत्री ललोत्तर सिंह	गोंड़	42/1	0.506	
58	दरबारी सिंह पिता ददऊ सिंह	कंवर	42/2	1.376	
59	बुद्धू, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ली, रामकली पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा	तेली	43	0.291	
60	गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह	कंवर	44	0.559	
61	तीरथप्रसाद पिता चुन्नू	अहीर	45	0.077	
62	मु. बुधवरिया, पुनिया बेवा रामदास, मोखिया पिता रामदास, पुनिया, तेरसिया, दुअसिया, अगसिया मॉ बुधवरिया	अगरिया	46	0.926	
63	बुद्धू, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ली, रामकली पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा	तेली	47/1	0.166	
64	रामचरण पिता रामदीन सा. तरसिली	तेली	47/2	0.089	
65	रामदीन पिता दसरू	तेली	48	0.745	
66	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	49/1	0.049	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
67	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	49/2	0.056	
68	नत्थूलाल, संतोष, बुल्ली, नंदइया पिता सोनवा सा. तरसिली	तेली	50/1	0.202	
69	राममिलन, कोमल पिता तिहारू	तेली	50/2	0.324	
70	मु. सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, उमा, मीरा पिता रामनाथ	अहीर	51/1	0.526	
71	बुदुआ पति ननकू	अहीर	51/2	0.733	
72	मु. सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, उमा, मीरा पिता रामनाथ	अहीर	52	0.016	
73	मु. सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, उमा, मीरा पिता रामनाथ	अहीर	53	0.709	
74	ददोली पिता मल्हा	कोल	54/2	0.809	
75	दादूराम, पूरन पिता गुलेला मु.लीलावती बेवा रघुवर, लेखन, राकेश नाबा. सर.मां लीलावती	गोंड़	54/3	0.405	
76	द्विजोत्तम, गोकरण पिता रामशरण	ब्रा0	55	0.077	
77	मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह	कंवर	56/1/क/1	0.506	
78	गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह	कंवर	56/1/क/2	0.506	
79	मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह	कंवर	56/1/क/3	0.676	
80	गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह	कवंर	56/1/क/4	0.693	
81	बलराम पिता दलवीर सिंह	गोंड़	56/2	0.405	
82	कोदुआ पिता कोला	तेली	57/1	0.829	
83	नत्थूलाल, संतोष, बुल्ली, नंदैया पिता सोनवा सा. तरसिली	तेली	57/2	0.835	
84	ललोत्तर सिंह पिता बोड़ई सिंह	कवंर	58	2.205	
85	बेसहनी पति ललोत्तर सिंह	कंवर	59	1.882	
86	कविता पिता लल्ली	अगरिया	60/1 ख	0.809	
87	चरकू पिता मंगल सा. तरसिली	कोल	60/1 ग	0.809	
88	रामबहोर पिता दशरू सा. तरसिली	तेली	61/1	1.251	
89	चरका पिता दशरथ सा. तरसिली	तेली	61/2	0.109	
90	मु. बुधवरिया, पुनिया बेवा रामदास, मोखिया पिता रामदास, पुनिया, तेरसिया, दुअसिया, अगसिया मॉ बुधवरिया	अगरिया	62	1.566	
91	बुधवरिया पुत्री दददी	अगरिया	63	0.020	
92	शीतल, नानदाऊ पिता बन्धू	पाव	64	0.890	
93	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	65/1/क	0.239	
94	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	65/1/ख	0.238	
95	भगवत पिता पहलू	तेली	65/2	0.482	
96	कोदुआ पिता कोला	तेली	66/1	1.692	
97	नत्थूलाल, संतोष, बुल्ली, ननदईया पिता सोनवा सा. तरसिली	तेली	66/2	1.444	
98	चरका पिता दशरथ सा. तरसिली	तेली	66/3	0.251	
99	मु. बिकनी पुत्री बन्जी सा. चंदरौठी	पाव	67	2.327	
100	चरका पिता दशरथ	तेली	68	0.227	
101	बुद्धू, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ली, रामकली पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा	तेली	69	0.789	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
102	बिकनी पुत्री बन्जी	पाव	70	0.263	
103	भैयालाल पिता धनीराम	कवंर	71	1.805	
104	दुआसिया बेवा चरकू, ददना, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली	तेली	72/1	3.589	
105	सेमबाई पिता विश्नाथ सा. तरसिली	तेली	72/2	0.304	
106	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	73	0.401	
107	ददना पिता चरकू सा. तरसिली	तेली	74	0.077	
108	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	75/1	0.101	
109	अर्जून पिता विशेषर	तेली	75/2	0.101	
110	रामदीन पिता दशरू	तेली	76	0.271	
111	रामचरण पिता रामदीन	तेली	77	0.510	
112	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	79/1	0.420	
113	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	79/2	0.421	
114	भीखम पिता नंचू सा. तरसिली	तेली	80	0.259	
115	रेवा पिता रामलाल	तेली	81/1 क	0.129	
116	प्रेमलाल पिता रामलाल	तेली	81/1 ख	0.129	
117	मोहन पिता रामलाल, सुखमन्ती बेवा रामलाल	तेली	81/1 ग	0.131	
118	देवशरण उर्फ समारू पिता जहलू सा. तरसिली	साहू	81/2	0.303	
119	फिरूराम पिता पहलू	साहू	81/3	0.106	
120	ननचू पिता तेरसू	साहू	81/4	0.129	
121	दुआसिया बेवा चरकू, ददना, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली	तेली	82	0.943	
122	ददना पिता चरकू सा. तरसिली	तेली	83	0.105	
123	कोदारी पिता सहदेव	तेली	84/1	2.134	
124	शम्भूदयाल पिता लल्ला	तेली	84/2	1.113	
125	कोदुआ पिता कोला	तेली	85/1	0.943	
126	नत्थूलाल, संतोष, बुल्ली, नंदैया पिता सोनवा सा. तरसिली	तेली	85/2	0.943	
127	द्विजोत्तम, गोकरन पिता रामशरण	ब्रा0	87	0.672	
128	लक्ष्मी कुमारी, शिया बाई पिता ददई सिंह	कवंर	88/1क	2.461	
129	रामभजन पिता जनकधारी	पनिका	88/1ख	1.618	
130	बुद्धसेन पिता बेनी	पनिका	88/2	1.862	
131	द्विजोत्तम, गोकरण पिता रामशरण	ब्रा0	89	0.194	
132	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	90/1	0.332	
133	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	90/2	0.332	
134	द्विजोत्तम, गोकरन पिता रामशरण	ब्रा0	91	2.136	
135	भईयालाल पिता रामनाथ सा. छतई	केवट	92	2.205	
136	जगजीवन पिता धनीराम	कवंर	93	0.425	
137	रामदुलारे, दशरथ, छंगा, छोटेलाल पिता शम्भूदयाल	तेली	95/1	1.911	
138	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	96/1	0.101	
139	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	96/2	0.101	
140	रामसूरत उर्फ पुसुवा पिता रामबली	तेली	97	0.858	
141	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	98/1	0.143	
142	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	98/2	0.144	
143	कोदारी पिता सहदेव	तेली	99	0.287	
144	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	100/1	0.243	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
145	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	100/2	0.243	
146	नानबाई, कमला, नान्हू, दूरी पिता टिल्लू सिंह	कवंर	101	0.186	
147	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	102/1क	0.087	
148	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	102/1ख	0.087	
149	शम्भूदयाल पिता लल्ला	तेली	102/2	0.324	
150	गल्लू पिता लालू	तेली	103	0.376	
151	लक्ष्मी कुमारी बेवा विष्णुबहादुर सिंह, राजीव सिंह पिता विष्णुबहादुर सिंह, उमादेवी बेवा चन्द्रकुमार सिंह, संजीव, शालिनी, पिता चन्द्रकुमार सिंह, तेजबहादुर सिंह, नरबदा सिंह, अंजनी सिंह, पिता शिवकुमार सिंह, प्रज्ञांत सिंह, विक्रान्त सिंह, मुक्तामणि, नीलमणि मीनाक्षी सिंह पिता सूर्यकुमार सिंह क्षत्री सा. कोठी	क्षत्री	104	0.178	
152	तेरसिया, लक्षमनिया पुत्री सेमलू, चौरसिया बेवा सेमलू	तेली	105	0.223	
153	सौनी, शंखी पिता बुद्धू	तेली	106/1	0.421	
154	गल्लू पिता लालू	तेली	106/2	0.231	
155	बुद्धू पिता ददना	तेली	107	0.466	
156	गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह	कवंर	108	0.316	
157	मुकेश कुमार पिता हीरामणी सा. बिजुरी (लोहसरा)	ब्रा0	109/1	0.401	
158	तेरसिया, लक्ष्मनिया पुत्री सेमलू, चौरसिया बेवा सैमलू	तेली	109/2	0.093	
159	द्विजोत्तम, गोकरन पिता रामशरण	ब्रा0	110	0.146	
160	दरबारी सिंह पिता ददऊ	कवंर	111	0.113	
161	भारत लाल पिता रामदयाल, रामदीन पिता दुलारे	तेली	112/1	0.225	
162	रामदीन पिता रामदुलारे	तेली	112/2	0.742	
163	भारत लाल पिता रामदयाल, रामदीन पिता दुलारे	तेली	112/3	0.125	
164	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	113/1	0.101	
165	अर्जुन पिता विशेषर	तेली	113/2	0.101	
166	रामकली बेवा हीरालाल, अशोक, गुड़िया, मन्नू पिता हीरालाल	गोंड़	114	0.352	
167	दुआसिया बेवा चरकू, ददना, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली	तेली	115	0.174	
168	मु. बुधवरिया, पुनिया बेवा रामदास, मोखिया पिता रामदास, पुनिया, तेरसिया, दुअसिया, अगसिया मॉ बुधवरिया	अगरिया	116	0.101	
169	ललोत्तर सिंह पिता बोड़ई सिंह	कवंर	117	4.120	
170	लक्ष्मी कुमारी पिता ददई सिंह	कवंर	119	1.578	
171	मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह	कवंर	120	0.352	
172	मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह	कवंर	121/1	0.040	
173	गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह	कवंर	121/2	0.041	
174	मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह	कवंर	122	0.789	
175	मनबोध सिंह, गुलाब सिंह, बूदन बाई पिता पोहकर	कवंर	123	2.298	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
176	लक्ष्मी कुमारी, शिया बाई पिता ददई सिंह	कवंर	124	0.279	
177	लक्ष्मी कुमारी पिता ददई सिंह	कवंर	125/1	1.315	
178	मनबोध सिंह, गुलाब सिंह, बूदन बाई पिता पोहकर	कवंर	128	1.161	
179	मौनी बाई पति चन्दूलाल	ब्रा0	129	0.413	
180	नंदौवा पिता धनीराम	कवंर	141 अंश भाग	0.889	
181	जगजीवन पिता धनीराम	कवंर	145	1.117	
182	मु. मुनिया बेवा दलवीर सिंह, रामनिवास, रामनरेश पिता दलवीर सिंह	कवंर	146	3.257	
183	नंदौवा पिता धनीराम	कवंर	147	2.364	
184	जगजीवन पिता धनीराम	कवंर	148	0.802	
185	मु. मुनिया बेवा दलवीर सिंह, रामनिवास, रामनरेश पिता दलवीर सिंह	कवंर	151	0.603	
186	गल्लू पिता लालू	तेली	152/1क 1	0.831	
187	सुना बाई पत्नी शुद्धू, सा. तरसिली	तेली	152/1क 2	0.809	
188	ललिता देवी पति दयाशंकर सा. लोढ़ी	ब्रा0	152/1ख	0.202	
189	भीखम पिता नंचू सा. तरसिली	तेली	152/2	1.214	
190	गोमती बाई पति कुंजा सा. तरसिली	तेली	152/3	0.508	
191	जगजीवन पिता धनीराम	कवंर	153	0.421	
192	रामकली बेवा हीरालाल, अशोक, गुड़िया, मन्नू पिता हीरालाल	गोंड़	154	0.308	
193	शुद्धू पिता विशेषर	तेली	155	0.405	
	कुल 193 किता			**131.730**	

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

–: अधिसूचना :–

क्रमांक– 3779/दस/भू–अर्जन/2011 अनूपपुर, दिनांक 07 मई 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोकहित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दर्शाए अनुसार ताप विद्युत परियोजना के लिए आवश्यकता है । अतः भू–अर्जन अधिनियम 1894 (क्र0 एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा–4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 (क) के उपबंध एवं भू–अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन–

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हे0 में	धारा–4 को उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	कम्पनी प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
अनूपपुर	कोतमा	छतई	60.438	भू–अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना ।
योग–			60.438		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर की भू–अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा जिला– अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड, 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भूमि खाताधारकों की सूची

ग्राम छतई

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	रामबहोर, भरतकिशोर पिता धनपत	तेली	314/1	0.902	
2	रामखेलावन पिता सम्पत	तेली	314/2	0.243	
3	देवीदास पिता सम्पत	तेली	314/3	0.207	
4	रामगोपाल, लेखन पिता गनपत	तेली	314/4	0.396	
5	करूणेश कुमार पिता सत्यनारायण	ब्रा0	314/5	0.227	
6	लल्ली, कौशिल्या, फूलवती पिता मोहन	गोंड़	315	1.773	
7	गयादीन पिता दल्लू	गोंड़	317 अंश भाग	0.405	
8	हीरा सिंह पिता गोविन्द सिंह	गोंड़	318 अंश भाग	0.405	
9	जानकी पति लखन सा. भालूगुढ़ार	धनवार	331/1	0.121	
10	रामेश्वर प्रसाद पिता देमन प्रसाद	केवट	331/2 अंश भाग	0.259	
11	छोटी पिता बलदेव	गोंड़	331/3	0.121	
12	तीरथ प्रसाद, दलवीर सिंह पिता बलदेव, सेमवती बेवा ध्यानसाय, अहिवरन, रामावतार पिता ध्यानसाय	गोंड़	333	0.874	
13	जानकी पति लखन सा. भालूगुढ़ार	धनवार	335	0.138	
14	स्वामीदीन पिता बंशधारी	गोंड़	336/1	0.607	
15	सोनिया पिता बंशधारी	गोंड़	336/2	2.514	
16	स्वामीदीन पिता बंशधारी	गोंड़	336/3	0.242	
17	स्वामीदीन पिता बंशधारी	गोंड़	336/4	0.607	
18	गुनीलाल पिता लल्ला	तेली	355 आंश भाग	0.256	
19	मोहरसाय पिता ददोली	गोंड़	356/1	0.226	
20	हीरासाय पिता ददोली	गोंड़	356/2	0.225	
21	सोनसाय पिता ददोली	गोंड़	356/3	0.225	
22	देवकी पिता प्रमोद	तेली	357	0.202	
23	सूरज, खेमन, चम्पी, मुन्नी पिता लोल्ला, ददनी बेवा लोल्ला	तेली	358/2	1.588	
24	मोहरसाय पिता ददोली	गोंड़	359/1	0.129	
25	हीरासाय पिता ददोली	गोंड़	359/2	0.029	
26	ददोली पिता युवराज	गोंड़	359/3	0.101	
27	नानबाई बेवा गंगाराम, सुन्दरलाल, सुखनंदन, जयनंदन, सुरजनिया पिता गंगाराम	गोंड़	361	0.955	
28	मान सिंह, कुवंर सिंह पिता गौटिया	गोंड़	363	1.104	
29	रामखेलावन पिता सम्पत	तेली	364	0.129	
30	स्वामीदीन पिता बंशधारी	गोंड़	365/1/1	0.607	
31	सोनिया पिता बंशधारी	गोंड़	365/1/2	0.842	
32	स्वामीदीन पिता बंशधारी	गोंड़	365/1/3	0.324	
33	रामखेलावन पिता सम्पत	तेली	365/2क	0.129	
34	देवीदास पिता सम्पत	तेली	365/2ख	0.130	
35	रामगोपाल, लेखन पिता गनपत	तेली	366	0.162	
36	गयादीन पिता दल्लू	गोंड़	367	1.072	
37	बालकरण, रामबहादुर, सुग्रीव, भगवत, चंदा पिता शियाशरण, सुमरन बेवा शियाशरण	गोंड़	368	0.202	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
38	तीरथ प्रसाद, दलवीर सिंह पिता बलदेव, सेमवती बेवा ध्यानसाय, अहिवरन, रामावतार पिता ध्यानसाय	गोंड़	369	0.809	
39	बालकरण, रामबहादुर, सुग्रीव, भगवत, चंदा पिता शियाशरण, सुमरन बेवा शियाशरण	गोंड़	370	0.405	
40	छोटी पिता बलदेव	गोंड़	372	0.247	
41	स्वामीदीन पिता बंशधारी	गोंड़	373	0.093	
42	भागीरथी पिता सुदीन	गोंड़	374	0.425	
43	बालकरण, रामबहादुर, सुग्रीव, भगवत, चंदा पिता शियाशरण, सुमरन बेवा शियाशरण	गोंड़	375	0.202	
44	हीरासाय पिता ददोली	गोंड़	376/1	0.340	
45	मनोहर, मोहरसाय, हीरासाय, सोनसाय, गनेशिया, चैतनिया पिता ददोली	गोंड़	376/2	0.558	
46	नानबाई बेवा गंगाराम, सुन्दरलाल, सुखनंदन, जयनंदन, सुरजनिया पिता गंगाराम	गोंड़	377	0.223	
47	रामशरण, मान सिंह पिता भूरसा, इन्द्रवती बेवा बंशधारी, गेंदिया पुत्री गिरधारी, सुन्दर, सुखनंदन, जयनंदन पिता गंगा, नानबाई बेवा गंगा, सोनिया, फगुनी पुत्री साधू	गोंड़	378	0.583	
48	रामप्रकाश पिता देवमन	केवट	380	1.279	
49	सुकवरिया बेवा गौटिया	गोंड़	381	0.259	
50	मोहरसाय पिता ददोली	गोंड़	382/1	0.036	
51	हीरासाय पिता ददोली	गोंड़	382/2	0.037	
52	मनोहर, मोहरसाय, हीरासाय, सोनसाय, गनेशिया, चैतनिया पिता ददोली	गोंड़	382/3	0.032	
53	सोनसाय पिता ददोली	गोंड़	382/4	0.037	
54	नानबाई बेवा गंगाराम, सुन्दरलाल, सुखनंदन, जयनंदन, सुरजनिया पिता गंगाराम	गोंड़	383	0.668	
55	लल्ली, कौशिल्या, फूलवती पिता मोहन	गोंड़	384	0.813	
56	देवकी पिता प्रमोद	तेली	385	0.061	
57	कैलसिया बेवा नर्मदा, लालमन, बोधन पिता नर्मदा	केवट	386	0.202	
58	रामगोपाल, लेखन पिता गनपत	तेली	387/1	0.575	
59	छोटेलाल पिता सम्पत	तेली	387/2	0.065	
60	रामखेलावन पिता सम्पत	तेली	387/3	0.582	
61	रामबहोर पिता धनपत	तेली	387/4	0.579	
62	रामप्रकाश पिता देवमन	केवट	388	0.324	
63	दुअसिया पुत्री मीरू, देमानी बेवा नंददिया, साहसराम, दीपनारायण, दशोदिया, उर्मिला पिता ननदईया रामदीन पिता मन्धारी, देववती बेवा जीवन, समाजी लाल, ओंकार, किरन, रामसुहवन पिता जीवन	केवट	389	0.154	
64	रामबहोर पिता धनपत	तेली	390/1	0.214	
65	छोटेलाल पिता सम्पत	तेली	390/2	0.304	
66	लल्ली, कौशिल्य, फूलमती पिता मोहन	गोंड़	391	0.741	
67	हरी प्रसाद, सीता, गीता पिता धीरसाय	केवट	392	0.324	
68	कल्लन शाह, जमालुद्दीन पिता याद अली	सांई (मुस्लिम)	393	0.324	

क्र0	भूमि स्वामी पिता व पति का नाम	जाति	खसरा नं0	रकवा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
69	मु. कैलसिया बेवा नर्मदा, लालमन, बोधन पिता नर्मदा	केवट	394	0.833	
70	भानू, चरकी, लक्षमनिया, मुन्नी पिता रमई	केवट	395	1.655	
71	मोहरसाय पिता ददोली	गोंड़	396	0.781	
72	गयादीन पिता दल्लू	गोंड़	399	0.466	
73	लल्ली, कौशिल्या, फूलवती पिता मोहन	गोंड़	401	2.570	
74	अमोल, चन्दू, गौंटिया पिता मोहन	गोंड़	404 अंश भाग	0.202	
75	रामशरण, मान सिंह, इंद्रवती बेवा बंशधारी पिता भूरसा, गेंदिया पुत्री गिरधारी, सुन्दर, सुखनंदन, जयनंदन पिता गंगा, नानबाई बेवा गंगा, सोनिया, फगुनी पुत्री साधू	गोंड़	414	0.348	
76	भारत पिता गोगी	गोंड़	415	0.291	
77	लल्ली, कौशिल्या, फूलवती पिता मोहन	गोंड़	416	0.405	
78	हरी प्रसाद, सीता, गीता पिता धीरसाय	केवट	417	0.380	
79	रामशरण, मान सिंह, इंद्रवती बेवा बंशधारी पिता भूरसा, गेंदिया पुत्री गिरधारी, सुन्दर, सुखनंदन, जयनंदन पिता गंगा, नानबाई बेवा गंगा, सोनिया, फगुनी पुत्री साधू	गोंड़	418	1.072	
80	कल्लनशाह, जमालुद्दीन पिता याद अली	सांई (मुस्लिम)	420	1.333	
81	नेहरू, उर्मिला पिता महदोले	केवट	421	1.015	
82	माधौ सिंह पिता दल्ला, मुनिया बाई बेवा चरण सिंह, अर्जुन सिंह, शोभन सिंह पिता चरण सिंह	गोंड़	454	2.310	
83	बिन्दा पिता बहिरा	पनिका	455	0.202	
84	सोनकुवंर बेवा मोहन, गुड़िया, रानी, उर्मिला, इन्द्रजीत, रोहित पिता मोहन	पनिका	456/2	0.809	
85	बाबूलाल, भैयालाल, छोटेलाल, चन्द्रशेखर, गुन्दू बाई पिता रामनाथ	केवट	457	0.607	
86	हीरा सिंह पिता गोविन्द सिंह	गोंड़	459	13.128	
87	जानकी बाई पति मिथला, सा. बेरीबॉध	पटेल	460/1	0.929	
88	शान्ति बाई पति प्रहलाद, सा. पिपरिया	पटेल	460/2	0.929	
	कुल 88 किता			60.438	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. 606-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-08-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि में स्थित मकान/सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—सिलावद

(घ) क्षेत्रफल—0.709 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
167/1	0.648
194/1	0.041
194/4	0.020
	कुल : 0.709

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिलावद-पलसूद मार्ग के गोई नदी पर निर्माणाधीन पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सेतु) उपसंभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

प्र.क्र. 06-अ-82-10-11-भू-अ.अ.2-बरगी हिल्स.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—सिहोरा
(ग) ग्राम—जुनवानीकला, प.ह.नं. 76, न. बं. 253
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.02 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
700	0.02
योग	. . 0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—आलासुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 07-अ-82-10-11-भू-अ.अ.2-बरगी हिल्स.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—सिहोरा

(ग) ग्राम—खिरवा बरगवां, प.ह.नं. 76, न.बं. 179/579.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
474	0.15
योग	. . 0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरौदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 08-अ-82-10-11-भू-अ.अ.2-बरगी हिल्स.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—बरौदा, प.ह.नं. 62, न.बं. 484
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.40 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
361	0.10
116/1	0.12
118	0.16
116/2	0.02
योग	. . 0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लमकना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 09-अ-82-10-11-भू-अ.अ.2-बरगी हिल्स.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—सिहोरा
(ग) ग्राम—झिंगरई, प.ह.नं. 60, न.बं. 264
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
226	0.12
योग	. . 0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घानाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 10-अ-82-10-11-भू-अ.अ.2-बरगी हिल्स.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—सिहोरा
(ग) ग्राम—बुढ़रा, प.ह.नं. 88, न.बं. 549
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
196/1	0.12
योग	. . 0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कुशयारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2011

प्र.क्र. 07-अ-82-09-10-भू-अ.अ. इकाई क्र. 1.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—नांदघाट, प.ह.नं. 65, न.बं. 267
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.09 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
252	0.09
योग . .	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मझौली शाखा नहर की तलाड़ डायरेक्ट माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. 5133-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 01-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नीमच
(ख) तहसील—जावद
(ग) नगर/ग्राम—नयागांव
(घ) मूल रूप से प्रस्तावित क्षेत्रफल—8.445 हेक्टर.
(ङ) आपत्तियों के निराकरण के बाद संशोधित अधिग्रहण प्रस्ताव अनुसार क्षेत्रफल—8.041

सर्वे नम्बर (1)	एकीकृत जांच चौकी में प्रभावित रकबा (हेक्टर में) (2)
6 में से	0.160 आरी
8 मीन	0.045 आरी
6 में से	0.160 आरी
8 मीन	0.045 आरी
6 में से	0.161 आरी
8 मीन	0.044 आरी
6 में से	0.161 आरी
8 मीन	0.044 आरी
9 मीन	0.167 आरी
12 में से	0.271 आरी
13 में से	0.132 आरी
40 में से	0.070 आरी
41 में से	0.752 आरी
49 मीन	0.073 आरी
50 मीन	0.094 आरी
64 में से	0.031 आरी
65 मीन	0.436 आरी
66 मीन	0.074 आरी
67 मीन	0.214 आरी
69 मीन	0.272 आरी
70 मीन	0.231 आरी
70 मीन	0.374 आरी
71 मीन	0.266 आरी
74 मीन	0.497 आरी
74 मीन	0.486 आरी
75 मीन	0.057 आरी
76 मीन	0.745 आरी
79 मीन	0.009 आरी
81 मीन	0.216 आरी
82 मीन	0.162 आरी
86 मीन	0.818 आरी
84	0.314 आरी
87 मीन	0.045 आरी
99 में से	0.415 आरी
	कुल : 8.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम नयागांव (प.ह.नं. 15) में जावरा-नयागांव मार्ग

(एस.एच. 31) पर एकीकृत जांच चौकी के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—घुघरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.85 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.05
2	0.05
3	0.06
4	0.04
29	0.06
33/2	0.06
35	0.03
36	0.04
37	0.02
39	0.02
40	0.42
कुल अर्जित रकबा	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-8-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—अमकुही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.84 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/1	0.200
6/2	0.200
1/1	1.080
4, 5	0.360
कुल अर्जित रकबा	1.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-10-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिय आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—द्वारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.88 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
57	0.02
58/1	0.358

(1)	(2)
61	0.025
62	0.114
63	0.058
64	0.026
65	0.042
66	0.094
67	0.089
68/1	0.064
68/2	0.196
69	0.224
92/1	0.04
93	0.20
95/1	0.007
97	0.012
98/1	0.024
98/2	—
99	0.012
100	0.20
101	0.210
190/3	0.042
191/1	0.011
192	0.045
245	0.034
246	0.022
247/1	0.009
247/2	—
248	0.162
251/1	0.008
251/2	0.04
252	0.147
244	0.066
254	0.073
255	0.003
256	0.107
257	0.097
259	0.012
260	0.07
261	0.64
262	1.23
263	0.601
264	1.15
265	0.360
266	0.20
267/1	0.05
267/2	0.05
268	0.090
269	0.146
270	0.41
271	0.299
272	0.65
273	0.65
कुल अर्जित रकबा	9.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—पौसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
374	0.30
375/1	0.20
कुल अर्जित रकबा	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कटनी, दिनांक 3 मई 2011

रा. प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10-भू. अ. अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—कैलवारा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.239 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
583/1	1.239
योग . .	1.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन यू.आई.एस.एम.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 28 अप्रैल 2011

प्र. क्र.-01-अ-82-2010-11-कले.-157.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—गोलाखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.042 हेक्टर

खसरा सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
360 में से	0.021
362 में से	0.021
योग . .	0.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चौराखेडी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-02-अ-82-2010-11-कले.-158.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—राधौगढ़
(ग) ग्राम—दावतपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.484 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
01 में से	0.177
11 मे से	0.021
12 मे से	0.220
19/1/2 मे से	0.052
20/1/1 मे से	0.014
योग . .	0.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चौराखेडी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-03-अ-82-2010-11-कले.-159.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—राधौगढ़

(ग) नगर/ग्राम—बालाभेंट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.014 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
289/3/1 में से	0.014
योग . .	0.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चौराखेडी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 455-वाचक-प्र.क्र. 3-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—खण्डवा पुरक

(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.878 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
112/4	0.569
112/5/2	0.198
119/1	0.137
120/1	0.129
180/5	0.188
121/1	0.068
121/2	0.061
121/3	0.060
122/1	0.232
126/1	0.197
127	0.173
138/1	0.095
138/3	0.198
138/2	0.489
139/1	0.191
137/2	0.025
136	0.010
234/3	0.049
26/8	0.129
26/9	0.138
27/3	0.288
43/1	0.478
42/1,42/2	0.082
180/2	0.039
180/3	0.145
180/4	0.175
181	0.373
182/1	0.215
182/2	0.211
199/3	0.649
200/1/2	0.369
200/2/2	0.298
200/2/1	0.298
234/2	0.224
134/1	0.069
240/1	0.158
239	0.063
240/2	0.479
238	0.168
244/2	0.064
245	0.498
246/1	0.185
61/1	0.168
61/2	0.148
60/5	0.128
60/6	0.109
59	0.368
50	0.373
175/2	0.065
175/1	0.389
216/1	0.268
216/2	0.027

(1)	(2)
253/2	0.568
251	0.322
249/1ख	0.138
249/1क	0.158
249/1ग	0.098
249/2	0.227
248/1/2	0.045
248/2	0.042
264	0.268
265	0.255
23/2	0.098
23/3	0.269
26/1	0.181
26/7	0.129
201/7	0.112
201/8	0.279
202	0.225
23/1	0.397
19/1	0.183
15/1	0.158
15/3	0.035
15/2	0.385
19/2	0.358
18/2	0.251
39/1	0.205
18/1	0.447
16	0.099
17	0.550
10/2	0.025
10/3	0.206
11/4	0.208
11/5	0.227
11/2	0.264
11/3	0.219
12	0.049
4/1/2	0.138
4/1/1	0.289
2	0.348
1/1	0.439
18/3/1	0.375
18/3/2	0.073
40/2	0.283
40/4	0.089
40/3	0.089
40/1	0.116
40/5	0.116
32	0.198
33/1	0.221
33/2	0.179
4/2	0.338
योग :	21.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—औंकारेश्वर बहुउदेशिय परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर 161350 मी. व 162330 मी. से निकलने वाली डी.एम. 81 व 82 तथा वितरण नहर डी.व्हाय 18 निसरपुर व वितरण नहर टेल डी. व्हाय 19 व इसकी माईनरस के निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

धार, दिनांक 29 अप्रैल 2010

कार्या. पत्र क्र. 463-वाचक-प्र.क्र. 19-अ-82-2008-2009-**संशोधित.**—धार, दिनांक 1 अक्टूबर 2010 ग्राम बेडवाल्या तहसील कुक्षी जिला धार का रकबा 6.595 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 636 पर दिनांक 09-04-2010 के अंक में तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः राज एक्सप्रेस दिनांक 08-04-10 के अंक में तथा नवभारत में दिनांक 09-04-10 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—बेडवाल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.775 हेक्टर.

पूर्व में प्रकाशित		अब प्रकाशित होने वाला संशोधन	
(1)		(2)	
सर्वे नम्बर	रकबा (हे.)	सर्वे नम्बर	रकबा (हे.)
91	0.180	191	0.180

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं.

धार, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. 4122-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—गंधवानी
(ग) ग्राम—इंदला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.685 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
29	0.600
38	0.750
42	0.960
48/1	0.420
48/2	0.480
49/2	0.052
50	0.150
51	0.150
52/1	0.060
52/2	0.060
52/3	0.060
52/4	0.060
52/5	0.060
97	0.130
98/2	0.340
99	0.600
101	0.120
102/1	0.293
207/1	0.360
207/2	0.180
208	0.060
217	0.500
218	0.240
योग . .	6.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालीयन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4127-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—गंधवानी
(ग) ग्राम—गोलपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.800 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.120
11/1	0.050
11/2	0.050
27/1/1	0.060
27/1/2	0.060
29/1	0.200
31/1	0.100
32/2	0.060
32/3	0.060
33	0.200
34/1	0.050
34/2	0.050
35/1	0.260
36/1	0.080
53/3	0.140
54/1	0.100
64/2	0.050
64/3	0.050
32/1	0.060
योग . .	1.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मकोड़ा नाला तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालीयन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 3 मई 2011

क्र. 603-वाचक-प्र. क्र. 9-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—माण्डवी (पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.492 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
62/1	0.040
62/2	0.260
66/2	0.060
67	0.220
68	0.040
237/72/3 ख	0.282
70/1	0.250
70/3	0.150
70/2	0.450
71/1/3	0.060
73/1	0.200
73/2	0.030
74/1 ख	0.200
40	0.250
योग . .	2.492

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रब्यूरी क्र. 17 की आर. डी. 3700 मी. से 4220 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 593-वाचक-प्र. क्र. 11-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—कल्याणपुरा (पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.610 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
146	0.390
148/3/2	0.156
149/1/2	0.090
150/5	0.180
150/6	0.126
151/1	0.264
181/1/1	0.100
148/3/3	0.053
152/2	0.080
152/3/2	0.040
152/3/3/2	0.030
152/3/3/1	0.110
178	0.140
179/1	0.150
144/3/1	0.053
94/1/2	0.090
94/1/1	0.055
115/1	0.035
योग . .	2.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रब्यूटरी क्र. 11 के आर. डी. 1470 से निकलने वाली 2 आर. माईनर (आर.

डी. 780 मी. से 4950 मी.) के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 598-वाचक-प्र. क्र. 13-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—रणगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.851 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
195/1/1	0.166
196/2	0.220
197/1	0.110
197/2	0.110
210/1/2	0.160
210/1/1	0.085
योग . .	0.851

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रब्यूरी क्र. 11 की आर. डी. 1570 से 2070 मी. तक तथा टेल माइनर 4260 मी. तक एवं 3 माइनर के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(3) भूमि का नक्षा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 4 मई 2011

क्र .623-वाचक-प्र. क्र. 05-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—अजन्दा (पूरक प्रकरण)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.779 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
341/2	0.090
342/1	0.575
342/2/1	0.090
342/2/2	0.090
342/2/3	0.090
342/2/4	0.090
343/3	0.270
343/1	0.090
343/2/2	0.140
343/2/1	0.086
350/1	0.185
351/2	0.400
351/3	0.050
354/1	0.250
354/2	0.220
356	0.050
357	0.600
358/1	0.100
380/2/1	0.025
380/2/2	0.550
380/2/3	0.140
380/2/4	0.220
381/3	0.352
383/2	0.180

(1)	(2)
383/1	0.090
470/2	0.070
470/4	०.090
474/2	0.025
474/1/2	0.540
472/2	0.180
473/2	0.185
475/1/2	0.270
475/2	0.277
476/1/1	0.019
476/1/2/1	0.062
476/1/2/2	0.074
476/1/3	0.040
476/2	0.440
21/1	0.135
21/6	0.132
21/7	0.132
21/8	0.132
21/4	0.030
21/2	0.220
21/3	0.550
28/2	0.080
27/1	0.375
107/3	0.225
24/2/2	0.190
24/3	0.228
62/1	0.044
62/3	0.120
62/2	0.200
61/1/3	0.410
58/1	0.050
68/1क	0.210
68/1ख	0.210
69/1क	0.020
68/3	0.270
67/1/3	0.365
66	0.660
108/1	0.230
107/4	0.255
107/2	0.225
107/1	0.490
103/2/3	0.040
103/2/4	0.200
111	0.077
112/3/1	0.425
112/1/1	0.360
112/3/2	0.135
102/2	0.135
406/1	0.500
421	1.000
418/2	0.028
418/3	0.332
263/3	0.286
263/4	0.286
37/4	0.100
370/1	0.140
441/4/2/2	0.266
441/3/2/1	0.572
441/3/2/3	1.56
441/4	0.260
योग . .	18.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 130.375 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 14 एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(3) भूमि का नक्षा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 628-वाचक-प्र. क्र. 05-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—मलनगांव (पूरक प्रकरण)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.360 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30/1/4	0.170
76/1	0.140
76/2	0.050
योग . .	0.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 125860 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रब्यूरी क्र. 12 की आर. डी. 9960 से 11467 के निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(3) भूमि का नक्षा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 मई 2011

क्र. 7196-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—नापानेरा, नेवली

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.874 हेक्टेयर.

अनुसूची (2)

ग्राम—नापानेरा

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/2	0.025
738/188/1	0.006
23/2/1	0.025
227	0.006
229/1	0.010
229/2/1	0.005
229/2/1	0.008
229/3	0.007
209/02	0.024
210	0.020
154	0.033
2	0.051
311	0.022
19	0.032
223	0.06
703	0.04
738	0.06
15/1	0.024
694	0.024
197	0.041
198	0.022
201	0.033
218	0.014
225/1	0.012
194	0.164
196	0.051
187	0.022
186	0.017
150	0.019
103	0.036

(1)	(2)
158	0.081
160	0.033
77	0.009
78/2	0.025
102	0.016
63/1	0.037
25/3	0.025
24/2	0.018
24/1	0.018
13/3	0.031
23/1	0.013
23/2/2	0.018
3/2	0.025
17	0.031
20	0.025
21	0.020
2/2/3	0.012
222	0.025
192	0.033
428	0.025
219	0.014
221	0.014
185	0.032
15/2	0.024
231	0.016
231	0.026
238/1	0.006
टोटल 57 :	1.565

अनुसूची (2)

ग्राम—नेवली

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
259/2	0.012
320	0.025
259/3	0.025
321	0.013
297/1	0.024
296/1	0.024
294/1	0.006
293/1	0.013
278/2	0.024
265/1	0.013
214	0.012
208	0.006
184/1	0.025
182	0.037
177/4	0.006
177/3	0.006
177/2	0.006
1777/1	0.006
209	0.004
212/1	0.002
213	0.020
टोटल 21 :	0.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नापानेरा, नेवली मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

राजगढ़, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 7203-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—नरिया बे. कांसारेकलां

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.754 हेक्टेयर.

अनुसूची (2)

ग्राम—नरिया बे

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157	0.008
154	0.034
156	0.015
156	0.010

(1)	(2)
156	0.015
156	0.018
12/2	0.019
153/1	0.007
13	0.026
16	0.014
15	0.024
14/2	0.032
153/2	0.031
17/1	0.027
17/2	0.031
135/1	0.035
135/2	0.027
134	0.047
27/6	0.036
133/1	0.027
133/2	0.027
122/2	0.072
440/252	0.19
319	0.031
301/1	0.028
306/1	0.006
314	0.048
317	0.016
335	0.028
320	0.016
321	0.016
322/1	0.013
322/2	0.009
324	0.014
325	0.027
333	0.027
297	0.128
टोटल	: 1.033

ग्राम—कांसारेकलां

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
577/2	0.013
579/2/3	0.063
580/2/1	0.063
580/2/2	0.051
627/580/1	0.013
579/3	0.202
579/2/4	0.126
580/2/3	0.026
580/3	0.038
590/3	0.126
टोटल	: 0.721

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सुठालिया रोड़ से नरिया बे, कांसारेकलां मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

नरसिंहगढ़, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 7207-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—नरसिंहगढ़
(ग) नगर/ग्राम—भैंसाना, दौलतपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.065, 9.657.

ग्राम—भैंसाना

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/8	0.065

ग्राम—दौलतपुरा

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/3/1	0.830
4/18/2	0.202
4/19/2/1	0.119
4/19/2/2	0.119
4/21	1.518
4/27/2	1.900
4/29	1.518
4/30/2	1.517
4/34/2	0.820
4/38	1.012
148/4	0.102
टोटल :	9.657

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में छूटी हुई भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 7209-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन— अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—नरी, परधानी कुण्डल

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.461 हेक्टेयर.

ग्राम—नरी

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
212	0.050
287	0.017
योग . .	0.067

ग्राम—परधानी कुण्डल

सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49	0.007
44	0.068
48	0.002
38	0.017
33/2	0.036
37	0.022
35	0.039
45/1	0.024
31	0.041
32	0.026
30/2	0.011
51	0.042
23	0.028
52	0.031
योग . .	0.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नरी से सुठालिया मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7211-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—निवारा, टोड़ी, कड़ियाहाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.392 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—निवारा	
538/1	0.010
377/1	0.072
338/2	0.010
538/3	0.010
538/6	0.038
538/9	0.010
538/8	0.010
538/10	0.010
538/11	0.010
538/7	0.010
538/4	0.010
538/5	0.010
376/1	0.080
377/4	0.024
386/1	0.020
523/2	0.010
585	0.040
386/3	0.020
377/5	0.015
389	0.030
387	0.040
505/2	0.030
(1)	(2)
386/2	0.020
536/2	0.020
536/1	0.015
523/1	0.010
522	0.050
503/1	0.010
518/2	0.020
520	0.020
507/1	0.030
506	0.080
503/2	0.010
503/3	0.015
478/4	0.010
478/2	0.010
478/1	0.010
475/1/2	0.080
475/1/4	0.080
379/1/1	0.040
योग	: 1.049
ग्राम—टोड़ी	
1486	0.015
1487	0.015
1489	0.020
1480/1	0.020
1489/4	0.010
1488	0.010
1489/5	0.015
1484	0.010
1485	0.015
1483/1	0.025
1489/3	0.015
1481	0.015
योग	: 0.185
ग्राम—कड़ियाहाट	
16	0.020
57/2	0.160
29/1	0.024

(1)	(2)
30/1	0.008
30/3	0.031
30/2	0.027
30/1	0.089
121/2	0.024
32/2/3	0.051
33/1/2	0.065
57/1	0.055
75	0.028
423	0.072
425	0.012
80/2	0.012
80/1	0.013
80/5	0.012
422	0.039
79	0.058
371	0.060
121/1/2	0.035
122/1/1	0.006
368	0.005
369/1	0.015
121/1/1	0.035
122/2/1	0.010
125/2/1	0.011
122/1/2	0.005
426/1	0.097
426/3	0.055
125/2/3	0.024
	योग : 1.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—निवारा से कड़ियाहाट मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 3 मई 2011

प्र. क्र. 04-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज
(ग) नगर/ग्राम—चंदपुरा, तुलसीपार, पनारी, बिजौरा, वीरपुर, बेरखेड़ी टप्पा, सुनेहरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.961 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
	ग्राम—चंदपुरा	
4	0.765	0.121
3	0.146	0.045
5	1.707	0.264
7	0.376	0.032
20/1	0.972	0.182
20/2	0.704	0.105
20/3	0.376	0.024
16, 24, 162/12, 164/24, 165/33/2/1	1.874	0.627
17	2.347	0.128
	ग्राम—तुलसीपार	
96/1	0.405	0.069
99/1	1.635	0.160
90/2/1	3.440	0.672

(1)	(2)	(3)
90/1/1	2.833	0.271
91/2	1.619	0.093
96/2	0.522	0.069
89/1	0.425	0.120
101/1	1.619	0.018
65	1.598	0.354
77-78-80/1	2.957	0.256
75/1/2	0.664	0.150
71	3.780	0.175
54/2	1.303	0.120
54/1	1.303	0.040
52/3	1.704	0.232
49/2/1	1.821	0.210
67/1	2.864	0.291
66/1	1.303	0.057
56/3	0.793	0.380
132/3	1.416	0.024
132/2/1	0.433	0.045
132/2/2	0.161	0.045
132/1	1.214	0.130
130-131/3	0.537	0.048
130-131/4	0.541	0.065
130-131/5	0.809	0.085
130-131/6	0.809	0.073
147	0.129	0.016
145	0.448	0.100
146	0.121	0.024
143	0.065	0.024
166/2/1	1.825	0.255
166/1	1.963	0.129
167/1	0.134	0.024
234-235/2	0.809	0.130
144/1	0.341	0.020
231-232/1	0.077	0.045
234-235/1/1	2.505	0.129
228/1/1	0.575	0.024
228/2/1	0.154	0.024
226/2	0.510	0.045
226/1	0.514	0.041
58	0.619	0.142
59	0.154	0.024
56/1/2/1	2.023	0.181
56/1/1/2	1.214	0.065
56/1/1/1	0.809	0.061
40/1	3.007	0.348
63	3.561	0.182
30/2	1.331	0.032
33	1.866	0.016
32	1.238	0.069
87/1	0.821	0.234
87/2/1	0.202	0.073
	ग्राम—पनारी	
178/2/2	3.031	0.101
178/2/1	2.428	0.238
148	4.087	0.348
162/4	4.208	0.376
149	0.633	0.032
150/1	1.922	0.161
134/3	1.840	0.024
134/2	1.840	0.352
143/1	2.023	0.130
143/2	2.023	0.161
143/3	2.023	0.016
71/2	1.214	0.097
143/4/1	4.140	0.215
180/143	0.028	0.028
181/143	0.077	0.024
141	1.728	0.041
136/1/1	0.809	0.081
136/2/1	1.214	0.105
136/1/2	1.667	0.223
136/2/2	0.741	0.089
79/2	1.214	0.121
79/1/2	2.023	0.150
81/2	2.829	0.223
81/1	1.356	0.008
57/4	0.716	0.121
94/1	0.409	0.041
57/3	0.607	0.081
93/2	0.360	0.053
57/2	0.680	0.036

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
93/1	0.364	0.032	150	0.077	0.050
57/1	0.716	0.032	149/1	0.073	0.040
58/1	2.226	0.036	183, 207/4	0.506	0.030
28	4.030	0.214	183, 207/2	0.506	0.080
7/1/1	1.101	0.105	183, 207/1	0.369	0.064
7/1/2	0.502	0.045	180	0.117	0.036
7/1/3	0.340	0.024	178/2	0.226	0.060
5/2	0.162	0.024	354/178	0.162	0.090
5/1	1.015	0.093	172	0.093	0.002
7/1/4	0.502	0.073	169	0.202	0.004
131/1	1.574	0.135	170	0.004	0.004
131/2	0.809	0.032	171/1	0.142	0.080
130	1.339	0.045	171/2/2	0.073	0.002
83/2	1.335	0.101	151	0.133	0.008
83/1	1.214	0.130	148	0.611	0.040
85/3	0.482	0.081	54/2/3/2/2	0.619	0.016
87	0.316	0.032	54/2/2/1	0.478	0.093
88	0.437	0.024	54/2/2/2	0.506	0.283
133/3	1.015	0.089	54/1/2	0.389	0.024
79/1/1/1	1.263	0.077	17/1	0.805	0.170
133/2	1.015	0.069	17/2	0.805	0.100
79/1/1/3	0.943	0.032	69/3	0.977	0.164
133/1	1.011	0.073	64	0.346	0.040
79/1/1/2	1.323	0.069	63	0.210	0.020
85/1	0.987	0.053	57/1	0.540	0.036
143/4/2	0.737	0.016	57/2	0.540	0.036
71/1	1.194	0.065	57/3	0.543	0.040
187/14	2.051	0.012	56/3/2/1	0.405	0.081
	ग्राम—बिजौरा			**ग्राम—वीरपुर**	
188	1.108	0.060	589	0.154	0.030
197	0.837	0.084	591	1.445	0.200
198	0.223	0.010	590	0.409	0.050
16/2	5.665	0.230	580/2	0.817	0.110
189/2/2	1.056	0.290	579	1.347	0.200
356/197	0.267	0.010	883/579	1.012	0.116
203	0.129	0.070	459	0.121	0.040
204	0.045	0.002	153/2/1	1.676	0.097
205	0.158	0.096	458, 462/3	1.093	0.134
183, 207/3	0.506	0.060	67	1.622	0.110
152	0.138	0.064	65	1.983	0.156

(1)	(2)	(3)
878/473	1.413	0.036
281	0.890	0.100
561	2.715	0.300
564	0.190	0.010
536	0.129	0.012
535	0.105	0.036
530	1.193	0.036
529	4.439	0.250
484/2/1	1.643	0.210
484/2/2	1.243	0.080
161	1.246	0.188
283	0.837	0.136
537	0.858	0.360
110/1/2	0.938	0.008
457	1.259	0.220
460	0.514	0.080
416,417	0.502	0.150
467/1	0.833	0.080
421/1	0.934	0.180
424	0.089	0.120
900/431/1	0.723	0.128
423/2	1.263	0.096
423/1	1.262	0.164
367/1	0.405	0.110
368, 369	1.080	0.090
284/2	0.486	0.004
372	0.259	0.060
275/2	0.405	0.084
274	3.456	0.132
275/1	1.870	0.110
111/4	1.080	0.004
64/2	1.780	0.130
63/1	1.133	0.160
84/1	0.283	0.008
110/1/1	0.405	0.148
145/2	1.255	0.072
100/1	0.461	0.080
100/2	0.465	0.040
371/2/2	3.153	0.180
99	4.832	0.180
98	1.931	0.090
93	6.682	0.390
97	0.647	0.050
146	1.631	0.004
85/1	0.559	0.064
110/2/2	2.574	0.144
63/2	1.133	0.132
88	0.587	0.012
85/2	2.177	0.278
90	0.648	0.121
159/2	1.566	0.080
153/2/2	0.109	0.024
153/1	1.445	0.145
ग्राम—बेरखेड़ी टप्पा		
32	2.047	0.110
ग्राम—सुनेहरा		
36	0.364	0.040
37/2	1.051	0.104
18,25/2/2	1.367	0.096
24/2	0.405	0.004
26/2	0.405	0.004
18–25/2/1	0.551	0.008
24/1	0.562	0.008
51/3	1.530	0.040
34	2.509	0.088
38	0.724	0.008
44/3	0.538	0.032
50/2	1.177	0.100
50/3	0.927	0.004
50/1	0.449	0.044
कुल योग		: 23.961

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज, जिला रायसेन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 मई 2011

क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-13अ-82-वर्ष 10-11-3493.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—सानोधा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.17 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2018	0.10
2019	0.07
	योग : 0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है. संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-14अ-82-वर्ष 10-11-3495.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—डुगासरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.44 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
863	0.28
874/1-2	0.11
865	0.05
	योग : 0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है. संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-15अ-82-वर्ष 10-11-3494.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—बम्होरी ढूढर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.38 हेक्टेयर.

खसरा नंबर में से (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
592/2	0.38
	योग : 0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है. संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 5 मई 2011

क्र. 3592 क-प्र.भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—खुरई
(ग) ग्राम—बसाहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
1162/1	0.04
1162/2	0.04
1164	0.07
1176/1	0.07
1176/2	0.07
1179	0.08
1520	0.11
1521	0.02
	योग : 0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 3594-(क)-प्र.भू.-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—धनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.48 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
511	0.04
512	0.12
513/2	0.10
440/3	0.02
430/1	0.01
429/1	0.02
429/2	0.02
429/3	0.01
429/4	0.02
427	0.08
426	0.04
	योग : 0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 3 मई 2011

क्र. 1302-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—असालिया (तालाब निर्माण)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.69 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
205	0.44
207	0.06
208	0.03
209	0.42
210	0.40
211	0.15
212	0.26
217	0.14
219	0.16
221	0.07
222	0.22
223	0.25
224	0.05
225	0.13
226	0.15
227	0.08
228/3	0.06
228/2	0.05

(1)	(2)
228/1	0.05
229	0.06
230	0.50
231	0.31
232	0.46
233	0.54
235	0.06
236/1	0.08
236/2	0.20
236/3	0.13
237/1	0.18
237/2	0.21
237/3	0.02
238	0.16
239	0.17
240	0.17
241	0.16
242	0.22
303	0.17
305	0.21
306/1	0.05
306/2	0.05
306/3	0.05
306/4	0.05
307/1	0.13
307/2	0.13
308/1	0.13
308/2	0.13
310	0.07
311	0.06
327	0.19
328/1	0.05
328/2	0.09
328/3	0.09
328/4	0.05
329/1	0.01
329/2	0.10
329/3	0.11
331	0.06
333	0.11
334	0.25
335/1	0.20
335/2	0.18
335/3	0.14

(1)	(2)
337	0.16
340	0.16
342	0.31
343	0.56
418	0.27
419	0.20
421/1	0.06
421/2	0.06
423/1	0.12
423/2	0.12
423/3	0.67
424	0.40
425	0.51
483/1	0.03
483/2	0.03
483/3	0.02
483/4	0.02
507	0.16
508	0.02
510	0.15
	योग : 13.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम असालिया के निर्माण के होने से ग्राम असालिया का कुल रकबा निजी भूमि 13.69 हेक्टेयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1304-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—नाहरपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
702/1	0.14
202/2	0.06
	योग : 0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— असालिया तालाब के नहर निर्माण होने से ग्राम नाहरपुरा का कुल रकबा निजी भूमि 0.20 हेक्टर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1306-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—लाड़की बेराज निर्माण (ग्राम छायन पश्चिम)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.98 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
353	0.12
355	0.06
356	0.05
350	0.75
	योग : 0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— लाड़ली बेराज के निर्माण के लिए निर्माण होने से ग्राम छायन पश्चिम का कुल रकबा निजी भूमि 0.98 हेक्टर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1308-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—लाड़की बेराज निर्माण (ग्राम बामनिया)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.983 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
465/1	0.101
465/2	0.101
465/3	0.101
465/4	0.093
465/5	0.101
465/6	0.081
465/7	0.081
465/8	0.081
465/9	0.081
465/10	0.081
465/11	0.081
	योग : 0.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— लाड़ली बेराज के निर्माण होने से ग्राम बामनिया का कुल रकबा निजी भूमि 0.983 हेक्टेयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 3 मई 2011

प्र. क्र. 47-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—गोविन्दपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 3.256 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/2	0.126
3	0.066
4	0.100
8	0.271
9	0.117
10	0.108
14/1	0.011
15	0.153
16	0.221
58	0.189
59	0.171
60	0.220
108	0.135
109/3	0.176

(1)	(2)
109/4	0.189
110	0.210
112	0.186
116/1	0.383
117/3	0.030
131/2	0.194
	योग : 3.256

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की पचवरा वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 4 मई 2011

प्र. क्र.-90-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—व्यास बदौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 8.800 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
8	0.08
9	0.052
10	0.012
11	0.1
31	0.032
32/1	0.016
32/2	0.138
33	0.008
38/2	0.02
39/2	0.08
40/1	0.05
46	0.112
47/1	0.078
47/2	0.105
48/2	0.096
146	0.012
147	0.112
149/1/1	0.032
149/2	0.042
150	0.105
151	0.17
165	0.042
166/1/2	0.118
167	0.052
168/2	0.176
175	0.02
178/1	0.078
178/2/2	0.098
179/2	0.052
558	0.11
560	0.128
561	0.078
562/3	0.226
563	0.072
569/1	0.102
569/3	0.1
570	0.17
597	0.078
598	0.076
620/1/1	0.16
621	0.072
623	0.116
658	0.064
665/1/1	0.112
666/1	0.052
666/2	0.062
667	0.128
668	0.024
675	0.024
680/1	0.073
682	0.052
683/2	0.032
683/3	0.212
684/1	0.120
685/5	0.025

(1)	(2)
686	0.089
687	0.192
690	0.200
691	0.185
692	0.270
703	0.110
704	0.114
706	0.152
708/1	0.101
708/2	0.072
714	0.030
715	0.035
721	0.053
722	0.167
728/1	0.030
728/2	0.080
729/1	0.020
729/2	0.121
730/1	0.029
730/2	0.467
731	0.028
732	0.022
733	0.148
734	0.022
768	0.016
770	0.068
771/1	0.137
772	0.045
773	0.013
774	0.045
796	0.016
797	0.160
798	0.058
799	0.004
800/1	0.185
800/2	0.118
803/2	0.265
849	0.052
850	0.064
903	0.088
907	0.055
908	0.118
योग :	8.800

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 5 मई 2011

प्र. क्र.-05-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) नगर/ग्राम—बैरागढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.440 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
137	0.230
138	0.160
190	0.050
योग :	0.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:— सिंध रमौआ लिंक नहर निर्माण हेतु ग्राम बैरागढ़ की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 649-प्रका. भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—नकबेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.21 हेक्टर.

रामनगर सब-माइनर नहर निर्माण हेतु ग्राम नकबेल, तहसील चुरहट, जिला सीधी मध्यप्रदेश

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी भूमि का विवरण :		
510	0.409	0.13
513	0.182	0.03
561	0.089	0.02
561/1728	0.040	0.01
716	0.938	0.12
717	0.938	0.17
718	0.547	0.02
765	0.320	0.03
766	0.328	0.06
766/1868	0.178	0.04
767	0.360	0.08
768	0.429	0.09
769	0.328	0.01
782/1878	0.186	0.02
784	0.142	0.10
786	0.166	0.10
786/1	0.008	0.01
786/2	0.097	
789	0.214	0.16
790/1	0.053	0.01
790/2	0.089	
योग (अ)	8.033	1.21
(अ) शासकीय भूमि का विवरण	निरंक	निरंक
योग (ब)	–	–
महोयोग (अ+ब)	8.033	1.21
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा		1.21
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा		निरंक
प्रस्तावित भूमि का कुल रकवा		1.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 681-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पाली-300
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.887 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (है. में)
(1)	(2)
156	0.072
144	0.064

(1)	(2)
137	0.096
136	0.136
134	0.128
133	0.120
120	0.232
119	0.176
100	0.096
111	0.096
180	0.062
109	0.120
161	0.232
162	0.192
164	0.004
165	0.010
167	0.080
168	0.052
169	0.24
179	0.272
189	0.120
188	0.080
187	0.010
198	0.09
199	0.056
185	0.172
202	0.019
203	0.224
225	0.080
222	0.137
221	0.144
220	0.040
227	0.064
219	0.011
147 (शासकीय)	0.160
कुल रकबा :	3.887

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पाली-300 हटवा माइनर/हटवा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 683-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—तेंदुन वृत्त-230
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.198 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
190	0.54
192	0.252
188	0.192
187	0.108
186	0.084
184	0.132
183	0.216
182	0.552
1359	0.178
175	0.014
174	0.010
171	0.420
170	0.018
144	0.032
145	0.024
142	0.010
122	0.008
121	0.516
120	0.010
101	0.170
102	0.057
108	0.007
109	0.592
110	0.008
111	0.048
कुल रकबा :	4.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तेंदुन वृत्त-230 हटवा माइनर/हटवा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 686-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—फरहद जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.459 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
22	0.160
24	0.216
29	0.012
30	0.152
33	0.160
39	0.016
41	0.112
42	0.144
45	0.100
46	0.003
143	0.124
144	0.052
145	0.168
156	0.016
157	0.180
170	0.056
171	0.176
172	0.052
174	0.079
178	0.360
179	0.056
180	0.080
181	0.056
182	0.048
184	0.160
202	0.151
203	0.008
221	0.072
223	0.080
225	0.088
318	0.120
319	0.088
323	0.036
324	0.050
325	0.006
326	0.022
योग	: 3.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 688-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—डेल्ही कोठार-215
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.238 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
200	0.040
202	0.172

(1)	(2)
203	0.120
204	0.038
206	0.019
207	0.140
210	0.002
211	0.044
212	0.064
271	0.016
332	0.160
337	0.040
338	0.080
339	0.064
340	0.045
341	0.058
342	0.002
355	0.128
357	0.160
368	0.016
369	0.408
430	0.064
718	0.006
719	0.070
720	0.093
721	0.132
722	0.100
723	0.006
755	0.120
756	0.080
757	0.032
758	0.272
762	0.250
763	0.058
764	0.088
765	0.080
766	0.072
782	0.036
1406	0.160
1408	0.077
1414	0.040
1415	0.192
1423	0.096
1425	0.004
1426	0.032
1427	0.072
1434	0.076
1435	0.136
1436	0.032
1450	0.022
1452	0.072
1453	0.017
1454	0.128
1520	0.196
1521	0.064
1522	0.104
1523	0.232
1524	0.006
1568	0.008
1575	0.005
1583	0.092
कुल योग :	5.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 690-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—तिलखन-226

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.094 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
518	0.008
1762	0.006

(1)	(2)
1764	0.120
1765	0.025
1766	0.016
1767	0.163
1771	0.040
1772	0.100
1775	0.085
1776	0.073
1777	0.093
1778	0.085
1781	0.018
2222	0.050
2227	0.006
2228	0.120
2230	0.120
2231	0.045
2233	0.050
2262	0.004
2263	0.015
2264	0.095
2265	0.050
2266	0.030
2268	0.060
2274	0.045
2275	0.045
2276	0.042
2277	0.080
2278	0.005
2282	0.075
2284	0.060
2286	0.003
2287	0.081
2288	0.040
2289	0.050
2293	0.024
2294	0.020
2295	0.027
2296	0.035
2303	0.061
2332	0.051
2334	0.002
2338	0.065
2339	0.002
2340	0.064
2341	0.006
2346	0.080
2348	0.035
2349	0.055
2351	0.030
2354	0.050
2355	0.080
2356	0.040
2361	0.036
2525	0.060
2526	0.220
2551	0.004
2552	0.100
2555	0.009
2557	0.035
2558	0.030
2563	0.100
2564	0.050
2565	0.040
2787	0.025
2788	0.135
3049/2788	0.085
3011/173	0.200
कुल किता अशासकीय	3.859
2229	0.060
2232	0.009
2235	0.016
2236	0.025
2345	0.080
2352	0.045
कुल किता शासकीय	0.235
महायोग	4.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 692-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—हिनौता पं. भगवानराम
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.831 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
16	0.037
17	0.343
18	0.194
38	0.008
39	0.323
75	0.146
77	0.093
78	0.130
80	0.230
81	0.004
86	0.012
88	0.205
91	0.101
93	0.004
94	0.048
110	0.130
111	0.202
124	0.040
126	0.032
127	0.254
129	0.116
151	0.025
153	0.008
154	0.024
227	0.122
कुल योग . .	2.831

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 694-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बैकुण्ठपुर-408
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.814 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
252	0.228
262	0.348
261	0.072
290	0.060
281	0.008
280	0.468
279	0.408
273	0.324
230	0.432
229	0.012
133	0.324
138	0.040
139	0.034
140	0.360
223	0.008
153	0.272
164	0.016
177	0.252
176	0.058
175	0.008

(1)	(2)
179	0.080
178	0.208
175	0.014
180	0.104
202	0.128
181	0.240
182	0.008
204	0.089
205	0.136
451	0.096
452	0.040
453	0.04
458	0.008
454	0.112
455	0.152
456	0.144
458	0.088
459	0.008
560	0.008
561	0.008
477	0.048
475	0.194
476	0.010
474	0.104
472	0.022
487	0.083
471	0.256
469	0.216
468	0.006
143 (शासकीय)	0.264
155 (शासकीय)	0.009
156 (शासकीय)	0.009
161 (शासकीय)	0.024
कुल रकबा	6.814

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तेंदुन वृत्त-230 हटवा माइनर/हटवा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 696-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—शाहपुर 540
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.204 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
950	0.081
1461	0.004
1481	0.004
1482	0.060
1483	0.060
1485	0.040
1486	0.004
1487	0.040
1488	0.040
1493	0.036
1494	0.101
1495	0.142
1500	0.065
1501	0.140
1502	0.035
1503	0.045
1504	0.060
16065	0.060
1508	0.072
1519	0.101
	1.204
(शासकीय)	–
	1.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 698-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.248 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7	0.032
17	0.045
18	0.053
19	0.045
25	0.086
26	0.207
56	0.045
57	0.004
58	0.053
59	0.053
60	0.045
62	0.050
63	0.050
64	0.036
65	0.036
68	0.136
70	0.105
71	0.077
72	0.073
97	0.202
98	0.165
100	0.105
103	0.207
119	0.137
120	0.016
126	0.016
128	0.101
कुल	2.180
शासकीय	
22	0.048
79	0.020
कुल	0.068
कुल योग . .	2.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 700-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—जामू 177
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.480 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
266	0.072
268	0.137
271	0.210

(1)	(2)
284	0.210
285	0.076
286	0.121
305	0.088
306	0.024
308	0.342
317	0.210
368	0.068
373	0.004
374	0.232
375	0.140
376	0.076
476	0.148
477	0.210
486	0.080
487	0.008
कुल	2.456
(शासकीय)	
320	0.024
कुल योग . .	2.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 मई 2011

क्र. 723-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—सौर कोठार-569
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.062 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7	0.010
8	0.120
9	0.010
10	0.036
11	0.040
20	0.081
21	0.040
28	0.065
29	0.081
30	0.048
207	0.060
209	0.060
216	0.010
217	0.045
218	0.021
219	0.041
228	0.218
229	0.081
230	0.020
231	0.120
232	0.020
260	0.117
262	0.030
263	0.065
264	0.005
270	0.050
271	0.085
272	0.006
274	0.315
334	0.006
434	0.028
435	0.080
436	0.005
438	0.040
439	0.077
442	0.010
443	0.040
445	0.050
446	0.130
447	0.044
448	0.141

(1)	(2)
455	0.020
456	0.004
458	0.080
459	0.032
460	0.101
461	0.032
528	0.146
548	0.080
कुल अशासकीय	3.046
(शासकीय)—	
224	0.016
कुल शासकीय भूमि	0.016
महायोग . .	3.062

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सौर कोठार हटवा माइनर/हटवा सब माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 725-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—गभुवानी महदेवा चौथ-125
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
79	0.089
80	0.049
81	0.032
82	0.065
83	0.025
85	0.024
86	0.024
87	0.202
कुल	: 0.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गभुवानी महदेवा चौथ-125 कटकी माइनर/कटकी सब माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 727-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—डिहिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
141	0.144
142	0.020
कुल योग	: 0.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 729-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—हटवा कोठार-572 (प.ह.नं. 23)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.347 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
61	0.032
79	0.008
295	0.700
298	0.016
303	0.020
343	0.024
344	0.091
353	0.175
355	0.048
356	0.049
433	0.066
436	0.004
437	0.020
438	0.190
439	0.077
440	0.081
441	0.080
444	0.030
446	0.093
447	0.105
449	0.058
577	0.081
587	0.008
588	0.040
589	0.049
590	0.045
591	0.205
595	0.004
596	0.045
603	0.378
604	0.053
606	0.007
611	0.042
612	0.043
613	0.030
614	0.018
615	0.035
616	0.053
617	0.008
619	0.032
620	0.032
829	0.178
830	0.004
831	0.175
839	0.246
840	0.024
845	0.360
846	0.012
851	0.087
1222	0.160
अशासकीय	4.421
299	0.279
350	0.093
358	0.049
434	0.030
445	0.430
598	0.045
शासकीय	0.926
महायोग	5.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत हटवा माइनर/हटवा सब माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 731-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.335 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
195	0.025
196	0.170
197	0.030
212	0.960
213	0.101
215	0.050
216	0.032
223	0.016
227	0.175
228	0.073
229	0.038
233	0.130
234	0.008
244	0.012
245	0.100
268	0.004
274	0.024
275	0.085
276	0.012
277	0.081
278	0.090
279	0.020
280	0.142
327	0.010
328	0.004
329	0.243
330	0.012
355	0.182
362	0.016
363	0.245
364	0.210
375	0.120
376	0.120
377	0.072
378	0.195
381	0.068
384	0.098
386	0.080
387	0.080
392	0.138
393	0.178
394	0.006
396	0.010
399	0.114
400	0.105
404	0.100
420	0.020
421	0.170
425	0.170
426	0.012
427	0.016
448	0.032
449	0.068
450	0.075
452	0.245
453	0.098
454	0.080
474	0.097
475	0.012
476	0.100
477	0.012
479	0.120
480	0.012
481	0.146
492	0.016
494	0.227
495	0.020
497	0.016
498	0.178
499	0.200
500	0.004
507	0.080

(1)	(2)
528	0.004
529	0.092
कुल अशासकीय	6.242
शासकीय	
354	0.008
361	0.035
428	0.050
कुल शासकीय	0.093
महायोग . .	6.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 740-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—राजगढ़ 496 हल्का 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
828	0.108
829	0.068
830	0.012
831	0.290
843	0.058
844	0.084
847	0.125
848	0.078
849	0.084
852	0.019
853	0.148
855	0.085
856	0.174
903	0.003
904	0.084
905	0.075
906	0.030
908	0.146
909	0.017
1099	0.067
1116	0.128
1117	0.045
1118	0.003
1119	0.028
1120	0.012
1121	0.112
1193	0.555
1196	0.070
1197	0.138
1198	0.199
1199	0.218
1201	0.045
1202	0.295
1207	0.049
1282	0.048
1283	0.48
1337	0.252
1338	0.069
1339	0.444
1342	0.078
1354	0.197
1355	0.165
1473	0.168
1474	0.082
1475	0.092
1476	0.146
1477	0.015
1479	0.136
1483	0.024
1484	0.144

(1)	(2)
1485	0.466
1486	0.80
1491	0.58
1495	0.214
1501	0.094
1502	0.048
1503	0.102
1506	0.044
1507	0.317
1509/1	0.046
योग . .	7.219
मध्यप्रदेश शासन	
रास्ता 872	0.048
महायोग . .	7.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरसौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 742-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पल्हान 287
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.172 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
170	0.135
173	0.380
183	0.115
184	0.065
185	0.065
186	0.115
187	0.082
194	0.101
196	0.032
197	0.032
198	0.040
199	0.040
200	0.120
215	0.008
216	0.020
228	0.024
योग . .	1.374
शासकीय	0
महायोग. .	1.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 744-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—दुलहरा (पावई)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.640 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
512	0.002
514	0.504
919	0.125
920	0.160

(1)	(2)
921	0.020
944	0.024
945	0.052
965	0.032
966	0.028
967	0.032
968	0.068
969	0.074
1206	0.036
1207	0.132
1208	0.073
1209	0.018
970	0.017
975	0.096
1018	0.010
1045	0.157
1046	0.012
1047	0.088
1048	0.080
1049	0.002
1050	0.088
1094	0.153
1095	0.149
1096	0.080
1265	0.040
1266	0.448
1268	0.029
1269	0.150
1102	0.006
1103	0.032
1178	0.016
1185	0.590
1186	0.160
1196	0.014
1197	0.032
1198	0.314
1200	0.009
1201	0.005
1202	0.267
1203	0.192
1270	0.030
1271	0.004
1276	0.018
योग . .	5.640
शासकीय	निल
महायोग	5.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरसौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 746-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पल्हान 287
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.758 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
31	0.072
32	0.116
33	0.284
42	0.220
43	0.048
44	0.340
51	0.312
88	0.152
89	0.085
133	0.120
135	0.072
136	0.144
137	0.004
138	0.212
205	0.012
206	0.028
207	0.071
210	0.048
213	0.040
214	0.072

(1)	(2)
218	0.114
219	0.016
221	0.105
223	0.016
224	0.14
321	0.072
347	0.125
348	0.112
349	0.012
350	0.089
351	0.089
359	0.080
361	0.096
389	0.070
390	0.040
393	0.056
407	0.072
408	0.008
409	0.250
411	0.008
424	0.056
225	0.038
442	0.038
443	0.040
444	0.101
545	0.016
1395/51	0.162
योग . .	4.551
90	0.080
128	0.025
140	0.050
234	0.020
410	0.032
शासकीय भूमि का योग . .	0.207
महायोग . .	4.758

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 748-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—उमरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.082 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21	0.012
22	0.068
55	0.108
56	0.108
57	0.096
64	0.072
65	0.072
66	0.032
67	0.048
68	0.068
69	0.062
71	0.128
396	0.043
397	0.014
398	0.026
399	0.095
404	0.028
405	0.029
406	0.172
408	0.015
413	0.095
416	0.146
417	0.103
428	0.124
429	0.100
430	0.059
431	0.002

(1)	(2)	(1)	(2)
440	0.017	1024	0.186
441	0.239	1025	0.006
442	0.068	1026	0.074
443	0.075	1040	0.006
465	0.232	1048	0.031
470	0.703	1050	0.045
471	0.019	1051	0.050
472	0.015	1052	0.086
473	0.130	1053	0.093
474	0.015	1058	0.179
478	0.198	1060	0.014
479	0.066	1061	0.095
480	0.008	1062	0.031
488	0.018	1066	0.080
503	0.224	1067	0.068
504	0.132	1101	0.266
506	0.036	1102	0.056
507	0.290	1103	0.080
508	0.058	1105	0.225
521	0.034	1108	0.019
522	0.123	1109	0.019
523	0.165	1110	0.002
591	0.042	1555	0.112
592	0.008	1557	0.035
593	0.008	1558	0.13
594	0.048	1564	0.072
600	0.151	1565	0.035
601	0.017	1566	0.072
606	0.080	1575	0.064
607	0.120	1576	0.088
791	0.020	1593	0.022
792	0.165	1594	0.182
793	0.122	1595	0.086
993	0.057	1596	0.080
994	0.056	1597	0.064
995	0.051	1598	0.062
998	0.026	1620	0.048
999	0.026	1621	0.092
1000	0.046	1622	0.085
1002	0.018	1623	0.026
1003	0.115	1624	0.015
1004	0.090	1625	0.018
1017	0.085	1637	0.012
1023	0.004	1638	0.080

(1)	(2)
1639	0.136
1640	0.036
1643	0.108
योग . .	9.654
मध्यप्रदेश शासन	
444	0.220
519	0.060
774	0.04
775	0.024
776	0.04
1585	0.020
1644	0.024
योग . .	0.428
महायोग . .	10.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरसौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 750-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—उमरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.078 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2523	0.060
2524	0.032
2526	0.101
2532	0.101
2533	0.040
2534	0.072
2569	0.008
2572	0.040
2574	0.040
2575	0.008
2576	0.016
2578	0.060
2584	0.040
2585	0.080
2586	0.060
2587	0.008
2588	0.032
2595	0.072
2597	0.120
3028	0.121
3030	0.136
3144	0.152
3145	0.025
3146	0.040
3148	0.121
3151	0.274
3155	0.008
3158	0.097
3159	0.072
3160	0.072
3161	0.072
3164	0.162
3166	0.008
3167	0.016

(1)	(2)
3168	0.145
3181	0.028
3183	0.113
3184	0.071
3185	0.101
3187	0.004
3188	0.112
3189	0112
3803	0.072
3804	0.060
3805	0.036
3811	0.137
3812	0.137
3818	0.120
3820	0.172
3821	0.105
3822	0.120
3824	0.032
3830	0.282
3833	0.096
3835	0.065
3836	0.065
3837	0.024
3861	0.136
3863	0.034
3864	0.004
3865	0.072
3866	0.274
3870	0.72
3871	0.072
3872	0.080
3873	0.016
4024	0.004
4025	0.0165
4026	0.160
4027	0.101
4028	0.008
4042	0.024
4043	0.004
4047	0.008
4048	0.101
4049	0.024
4050	0.072
4051	0.060
4053	0.016
4054	0.080
4055	0.004
4056	0.152
4093	0.064
4094	0.162
4099	0.025
4113	0.004
4114	0.004
4148	0.120
4149	0.120
4174	0.008
4176	0.120
4178	0.040
4180	0.072
4181	0.020
4182	0.020
4184	0.101

4187	0.101
योग . .	7.078
शासकीय भूमि	निल
कुल	6 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक-241-भू-अर्जन-2011-प्रकरण क्रमांक 07-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—देवास
(ग) ग्राम—रसूलपुर
(घ) क्षेत्रफल—5.239 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
254/2	0.089
255/8 पेकी	0.093
259	0.032
260/1	2.129
260/2 पेकी	0.053
260/3 पेकी	0.052
260/4 पेकी	0.052
260/5 पेकी	0.045
262/1	0.020
262/2	0.020
262/3	0.024
262/5	0.012
264/1	0.020
264/2	0.551
264/3	0.020
265	0.109
268	0.186
269	0.049
270 पेकी	0.198
276/1 पेकी	1.012
255/1/1	0.041
255/5/3	0.020
255/1/2	0.113
255/5/2	0.170
255/6/1	0.129
योग . .	5.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—देवास विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित वाणिज्यिक सह-आवासीय योजना के अन्तर्गत आने से भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, देवास विकास प्राधिकरण, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. 544-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011(भाग-बी).—प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में"Induction Training Programme" (Final phase) (2010 Batch) जो दिनांक 25 अप्रैल 2011 से 13 मई 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 अप्रैल 2011 को प्रातः काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 अप्रैल 2011 को प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शान 5 बजे तक के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. B/1225-दो-14-1-2011.—श्री अनिल कुमार देशमुख, सहायक ग्रन्थपाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की नियुक्ति/पदोन्नति अनुभाग अधिकारी/ग्रन्थपाल के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9,300-34800+ग्रेड पे रुपये 4200) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है, यदि वे पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करते हैं तो उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा. यदि वे पदोन्नति पर दिनांक 20 अप्रैल 2011 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो वे लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं.

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. 578-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011(भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम

तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 23 अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल 2011 को प्रातः काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल 2011 को प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8.(1) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया "लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका" भी साथ लेकर आवें.

(2) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटॉप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.

(3) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं हैं अथवा गुम हो गये हैं, जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थायें की जा सकें.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

Jabalpur, The 18th April 2011

No. 70-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987). As amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), read with Sub regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal Services Authorities Regulations, 1997as amended under section 29A of Legal Services Authorities Act, 1987, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, nominates Hon'ble Shri Justice S. K Gangele, High Court of Madhya Pradesh, Bench Gwalior, as Co-chairman of High Court Legal Services Committee at Gwalior, with immediate effect.

जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. B-1298-एक-7-3-2011-(भाग-एक).— उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-4929-एक-7-3-2010 (भाग-एक), जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए, शुक्रवार दिनांक 22 अप्रैल 2011 को गुडफ्राइडे के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्य पीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के न्यायालयों एवं रजिस्ट्री में अवकाश घोषित किया जाता है.

उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज में द्वितीय शनिवार दिनांक 10 दिसम्बर 2011 (अवकाश दिवस) को न्यायालयों एवं रजिस्ट्री में कार्य दिवस घोषित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार. जनरल.

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. B-1250-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 28 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 27 मार्च 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 एवं 4 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-1252-दो-2-19-2008.—श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 5 से 8 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 अप्रैल 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2777-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनुपपुर को दिनांक 19 से 26 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनुपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2782-दो-2-129-2006.—श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 से 23 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20-3-2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-2787-दो-2-32-2011.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 5 से 8 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 अप्रैल 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. C-2865-चार-8-42-77-चौदह.—श्री ए. के. गोठिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोतमा, जिला अनूपपुर को दिनांक 4 से 9 फरवरी 2011 तक छः दिवस का एवं दिनांक 10 फरवरी से 26 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 31(1)(अ) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. गोठिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोतमा, जिला अनूपपुर को कोतमा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

असाधारण अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 36(4) के अंतर्गत देय नहीं होगा.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. गोठिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. C-2924-दो-2-10-2011.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 18 से 21 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 22 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-2926-दो-2-37-2011.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 16 मार्च 2011 का 1 दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2) दिनांक 16 से 18 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 08 अप्रैल 2011

क्र. 553-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011(भाग-ए).—मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1के स्थानांतरण संबंधी रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 526 एवं 527-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011(भाग-ए), दिनांक 1 अप्रैल 2011 के पृष्ठांकन क्रमांक 528-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए), दिनांक 1 अप्रैल 2011 में संबंधित अधिकारी द्वारा उनकी पदस्थापना के नये स्थान पर पदभार ग्रहण की नियत दिनांक "18 अप्रैल 2011 अथवा उसके पूर्व" को परिवर्तित कर एतद्द्वारा दिनांक "30 अप्रैल 2011 अथवा उसके पूर्व" किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्र. 596-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सविता सिंह सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री आशुतोष मिश्रा नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर की हैसियत से श्रीमती सविता सिंह के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 653-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में

उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सरिता सिंह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल.	अपर सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवल्पमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड (M.P.S.I.D.C.) भोपाल द्वारा आई. सी. डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री विजय कुमार पाण्डे के स्थान पर.
2.	श्री विजय कुमार पाण्डे अपर सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवल्पमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड (M.P.S.I.D.C.) भोपाल द्वारा आई. सी. डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से श्रीमती सरिता सिंह के स्थान पर.
3	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), इंदौर.	चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) इंदौर की हैसियत से.

टिप्पणी.—श्री सत्येन्द्र गोवर्धनलाल जोशी का स्थानांतरण निरस्त हो जाने के फलस्वरूप वे अपने पूर्व पद अर्थात् अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से कार्य करते रहेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. बी-1300-तीन-10-42-75-(छतरपुर-बड़ामलहरा).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी-3717-तीन-10-42-75-(छतरपुर-बड़ामलहरा) दिनांक 20 अक्टूबर 2009 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बिजावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की श्रृंखला न्यायालय, बड़ामलहरा से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No.B-1300-III-10-42-75(Chhatarpur-Badamalahara).—High Court Notification No. D-3717-III-10-42-75(Chhatarpur-Badamalahara) dated 20-10-2009, so far as it relates to holding line Court of Additional Judge to Civil Judge Classs-I Bijawar to Badamalahara, is hereby stands cancelled.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. 548-गोपनीय-2011-दो-3-250-57 (भाग-29).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्रमाकं-18), दिनांक 1 मार्च, 2011 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मयंक कुमार शुक्ला	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 564-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री मनोज कुमार सिंह	शहडोल	सिरमौर	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री नीरज कुमार सोनी	राजेन्द्रग्राम	बड़ामलहरा	छतरपुर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
3	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे	सीधी	इन्दौर	इन्दौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री मनीष भट्ट के स्थान पर.
4	श्री मनीष भट्ट	इन्दौर	मंदसौर	मंदसौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री विकास चौहान	मंदसौर	धरमपुरी	धार	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री निवेश कुमार जायसवाल	भोपाल	गुना	गुना	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	कुमारी श्वेता गोयल	गुना	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी रमा शिवहरे के स्थान पर.
8	श्री सिद्धार्थ तिवारी	ग्वालियर	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर)	हटा	सारंगपुर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10	श्री आदित्य रावत	खिलचीपुर	ब्यावरा	राजगढ़	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी बबीता होरा के स्थान पर.
11	श्री हेमन्त सिंह	नागदा	देपालपुर	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
12	श्री विवेक कुमार चंदेल	नागदा	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री गौतम भट्ट के स्थान पर.
13	कुमारी बबीता होरा	ब्यावरा	मनासा	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
14	श्री धनेन्द्र सिंह परमार	बुधनी	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री समरेश सिंह के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	कुमारी रमा शिवहरे	अशोकनगर	भोपाल	भोपाल	उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री निवेश कुमार जायसवाल के स्थान पर.
16	श्री समरेश सिंह	गुना	इन्दौर	इन्दौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17	श्री गौतम भट्ट	रतलाम	नागदा	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री विवेक कुमार चंदेल के स्थान पर.
18	श्री निशिथ खरे	देवास	सांवेर	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
19	श्री आशुतोष शुक्ला	सोहागपुर	इंदौर	इंदौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
20	श्री गौतम सिंह मरकाम	शहडोल	आमला	बैतूल	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
21	श्रीमती बरखा दिनकर	हरदा	निवारी	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
22	डॉ. कुमारी महजबीन खान	देवास	विदिशा	विदिशा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री जफर इकबाल के स्थान पर.
23	श्री विजय कुमार शर्मा	मुरैना	गोहरगंज	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
24	श्री जफर इकबाल	विदिशा	नसरुल्लागंज	सीहोर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
25	श्री आलोक दुबे	खिलचीपुर	हरदा	हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

टिप्पणी.—

1. श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सीधी,
2. श्री मनीष भट्ट, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इन्दौर,
3. श्री निवेश कुमार जायसवाल, उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल,
4. श्री सिद्धार्थ तिवारी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर,
5. श्री विवेक कुमार चन्देल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नागदा, जिला उज्जैन,
6. कु. बबीता होरा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ब्यावरा, जिला राजगढ़,
7. श्री धनेन्द्र सिंह परमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान बुधनी, जिला सीहोर.
8. कु. रमा शिवहरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अशोकनगर,
9. श्री आशुतोष शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सोहागपुर, होशंगाबाद,
10. श्रीमती बरखा दिनकर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त स्वयं के व्यय पर किये गये हैं.

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. 584-गोपनीय-2011-दो-2-33-57(भाग-10).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4-1-2002-21-ब(एक), दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश क्रमांक 4-1-2002-21-ब(एक), दिनांक 28 जून 2003 तथा दिनांक 18 अप्रैल 2002 के अंतर्गत स्तम्भ (2) में दर्शित पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय को उसी हैसियत में स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ क्र. (4) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर.	सागर	भोपाल	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 585-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री अमरनाथ (केशरवानी)	रीवा	शहडोल	शहडोल	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री पी. एस. पाटीदार के स्थान पर.	शहडोल
2	श्री विनोद भारद्वाज, रजिस्ट्रार म. प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	विदिशा	विदिशा	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अखिलेश पण्डया के स्थान पर.	विदिशा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	पन्ना	पन्ना	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री हरि शंकर वैश्य के स्थान पर.	पन्ना
4	श्री अशोक कुमार तिवारी (जूनियर), अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	मंदसौर	मंदसौर	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	मंदसौर
5	श्री शम्भू सिंह रघुवंशी, विधि परामर्शी, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	सिवनी	सिवनी	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	सिवनी

क्र. 586-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कण्डिका (2) की सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री गोपाल श्रीवास्तव	जबलपुर	सतना	सतना	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्रीमती सईदा बानो रहमान	सागर	भोपाल	भोपाल	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, विद्युत् अधिनियम, भोपाल की हैसियत से श्री महेश भदकारिया के स्थान पर.
3	श्री महेश भदकारिया	भोपाल	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री विमल प्रकाश, अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	जबलपुर	जबलपुर	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गोपाल श्रीवास्तव के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	श्री अजय कुमार गर्ग	मुलताई	जौरा	मुरैना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री सुरेश कुमार आरसे	ब्यावरा	आगर	शाजापुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री सत्येन्द्र गोवर्धनलाल जोशी	इंदौर	शुजालपुर	शाजापुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8	श्री राजीव कुमार करमहे	भोपाल	मण्डला	मण्डला	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्रीमती आशा गोधा	सागर	रतलाम	रतलाम	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10	श्री नवनीत कुमार गोधा	सागर	रतलाम	रतलाम	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
11	श्री अजय श्रीवास्तव	भोपाल	विदिशा	विदिशा	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
12	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	ग्वालियर	भोपाल	भोपाल	चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय श्रीवास्तव के स्थान पर.
13	श्री अमनीस कुमार वर्मा	भोपाल	मुरैना	मुरैना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
14	श्री ललित किशोर	अशोकनगर	मुरैना	मुरैना	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. जी. कोठे के स्थान पर.
15	श्री संजय कुमार जैन (सीनियर)	हरदा	अशोकनगर	अशोकनगर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ललित किशोर के स्थान पर.
16	श्री रमेश मावी	अलीराजपुर	खण्डवा	खण्डवा	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17	श्री कृष्ण गोपाल सुरेका	नौगांव	सागर	सागर	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एन. के. गोधा के स्थान पर.
18	श्री अजीत सिंह	भिण्ड	ग्वालियर	ग्वालियर	दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. पी. सोनी के स्थान पर.
19	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह	कटनी	इंदौर	इंदौर	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-6, विद्युत् अधिनियम, इन्दौर की हैसियत से श्री मोहम्मद शमीम के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	श्रीमती इन्द्रा सिंह	कटनी	इंदौर	इंदौर	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-7, विद्युत् अधिनियम, इन्दौर की हैसियत से श्री श्यामकांत कुलकर्णी के स्थान पर.
21	श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे	मुरैना	रायसेन	रायसेन	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी .—

1. रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 304-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए), दिनांक 24 फरवरी 2011, जहां तक इसका संबंध श्री विमल प्रकाश, अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल का भोपाल से सिवनी स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. श्री ललित किशोर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त स्वयं के व्यय पर किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. 602-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री एम. एस. ए. अंसारी	बैतूल	अमरपाटन	सतना	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
2	श्रीमती आशिता श्रीवास्तव	खण्डवा	गुना	गुना	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री संजीव श्रीवास्तव	खण्डवा	गुना	गुना	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
4	श्री दिनेश कुमार पालीवाल	इंदौर	छतरपुर	छतरपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	श्री विजय कुमार पाण्डे	सतना	भोपाल	भोपाल	अपर सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड (M.P.S.I.D.C.) भोपाल द्वारा आई.सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय.
6	श्री आर. पी. एस. सिकरवार	झाबुआ	बड़वानी	बड़वानी	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रवि कुमार नायक के स्थान पर.
7	श्री विनोद कुमार	डबरा	रीवा	रीवा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर.सी.एस. बिसेन के स्थान पर.
8	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	रीवा	जबलपुर	जबलपुर	बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री राजेश गुप्ता	छतरपुर	उज्जैन	उज्जैन	सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	पन्ना	बैतूल	बैतूल	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम.एस.ए. अंसारी के स्थान पर.

क्र. 603-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) को सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डॉ. रमेश साहू	राजगढ़	ब्यावरा	राजगढ़	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), राजगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-ब्यावरा की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा	गुना	इंदौर	इंदौर	अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की हैसियत से.
3	श्री सतीश चंद्र शर्मा (जूनियर)	सतना	ग्वालियर	ग्वालियर	तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 605-गोपनीय-2011-दो-3-250-57 (भाग-29).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है, और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्रमाकं-45), दिनांक 6 अप्रैल 2011 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2011

क्र. 631-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करन के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री संजय कुमार पाण्डे	सतना	सतना	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर. पी. सोनकर के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	श्री महेश कुमार सैनी	अंजड़	बालाघाट	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
3	श्री राम प्रसाद सोनकर	सतना	भोपाल	भोपाल	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड (M.P.S.I.D.C.) भोपाल द्वारा आई.सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय.

क्र. 632-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री कृपा शंकर शाक्य	खुरई	महू	इन्दौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री आमोद आर्य	बैरसिया	कुरवाई	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री कृष्णदास महार	रीवा	निवास	मण्डला	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
4	श्रीमती कविता दीप खरे	सागर	सतना	सतना	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
5	श्री धनराज दुबैला	ब्यावरा	बेगमगंज	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री सुधीर सिंह	ब्यौहारी	रीवा	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
7	श्रीमती माधुरी राज लालजी	निवास	उमरिया	उमरिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
8	श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी	चंदेरी	देवास	देवास	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राजकुमार वर्मा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	श्री राजकुमार वर्मा	देवास	अंजड़	बड़वानी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री महेश कुमार सैनी के स्थान पर.
10	श्री शिवकांत	लौण्डी	बीना	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुरेश चंद्र पाल के स्थान पर.
11	श्री सुरेश चंद्र पाल	बीना	धार	धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
12	श्री प्रदीप सोनी	महू	डबरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डबरा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
13	श्री भू-भास्कर यादव	छिंदवाड़ा	वारासिवनी	बालाघाट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
14	श्री पद्मेश शाह	देवास	परासिया	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
15	श्री राजेश कुमार रावेतकर	सिवनी	इन्दौर	इन्दौर	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
16	श्री रूपम वेदी	सिरोंज	उज्जैन	उज्जैन	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर	महीदपुर	सिरोंज	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री रूपम वेदी के स्थान पर.
18	श्री संतोष कुमार गुप्ता	बिजावर	छतरपुर	छतरपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
19	श्री राजेश कुमार देवलिया	छतरपुर	बिजावर	छतरपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

टिप्पणी क्रमांक (1) —रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 526 एवं 527/गोपनीय/2011/दो-3-1-2011-(भाग-ए), दिनांक 1 अप्रैल 2011, जहां तक इसका संबंध श्री संजय कुमार पाण्डे का सतना से बालाघाट, श्री कृपा शंकर शाक्य का खुरई से पन्ना, श्री कृष्णदास महार का रीवा से पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा, श्रीमती कविता दीप खरे का सागर से अमरपाटन जिला सतना, श्री धनराज दुबेला का ब्यावरा से राजपुर जिला बड़वानी, श्री सुधीर सिंह का ब्यौहारी से बेगमगंज जिला रायसेन, श्रीमती माधुरी राज लालजी का निवास से रीवा, श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी का चंदेरी से सुसनेर जिला शाजापुर एवं श्री शिवकांत का लौण्डी से कोलारस, जिला शिवपुरी, स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

टिप्पणी क्रमांक (2) —रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 527/गोपनीय/2011/दो-3-1-2011-(भाग-ए), दिनांक 1 अप्रैल 2011, जहां तक इसका संबंध, श्रीमती किरण सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अमरपाटन, जिला सतना का स्थानांतरण सतना से निवास जिला मण्डला, श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनि.-2) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट, शाजापुर का स्थानान्तरण शाजापुर से कुरवाई जिला विदिशा, श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट, मण्डला का स्थानांतरण मण्डला से परासिया जिला छिन्दवाड़ा, श्री नवीन कुमार शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कोलारस, जिला शिवपुरी का स्थानांतरण कोलारस से डबरा जिला ग्वालियर,

श्री शशिकांत वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, पाण्ढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा का स्थानांतरण उमरिया एवं श्री अरूण श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट, सीहोर का स्थानांतरण सीहोर से सतना से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. उक्त सभी न्यायिक अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर कार्य करते रहेंगे.

टिप्पणी क्रमांक (3) —रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 526 एवं 527/गोपनीय/2011/दो-3-1-2011-(भाग-ए), दिनांक 1 अप्रैल 2011, के द्वारा स्थानांतरित निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के तहत किये गये स्थानांतरण के संबंध में, जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे वे निरस्त कर दिये गये हैं, अत: उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 9-5-2011 अथवा उसके पूर्व कार्यभार ग्रहण करें:—

1. कुमारी शालिनी शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मुरैना.
2. श्री सुनील मालवीय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मनावर, जिला धार.
3. श्रीमती कुमुदनी पटेल, दशम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, ग्वालियर.
4. श्री संजय कुमार जैन (जूनि.2), व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इटारसी, जिला होशंगाबाद.
5. श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, ग्वालियर.
6. श्री संजय श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कुरवई, जिला विदिशा.
7. श्री निसार अहमद, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहरगंज, जिला रायसेन.

टिप्पणी क्रमांक (4) —रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 527/गोपनीय/2011/दो-3-1-2011-(भाग-ए), दिनांक 1 अप्रैल 2011, के द्वारा स्थानांतरित, श्री प्रशांत कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बंडा जिला सागर को, बण्डा से ग्वालियर स्थानांतरण हेतु, नियमानुसार स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता होगी.

टिप्पणी क्रमांक (5)

1. श्री राम प्रसाद सोनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सतना.
2. श्री सुरेश चंद्र पाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बीना, जिला सागर.
3. श्री प्रदीप सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महू के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश महू जिला इंदौर.
4. श्री भू-भास्कर यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, छिन्दवाड़ा.
5. श्री संतोष कुमार गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बिजावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बिजावर जिला छतरपुर.

के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त किया गया है. इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2011

क्र. 649-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट

सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री संजीव दत्ता	रीवा	छतरपुर	छतरपुर	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	छतरपुर

क्र. 650-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डॉ. विजय कुमार अग्रवाल	टीकमगढ़	बैढ़न	सिंगरौली	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री ओंकार नाथ	देवास	रीवा	रीवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी	कुक्षी	सागर	सागर	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री विनोद कुमार दुबे (जूनियर)	मनावर	कटनी	कटनी	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी	शिवपुरी	सेवढ़ा	दतिया	अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. गोंदले के स्थान पर.
6	श्री राजेन्द्र कुमार गोंदले	सेवढ़ा	मनावर	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे (जूनियर) के स्थान पर.
7	श्री अखिलेश जोशी	धार	शुजालपुर	शाजापुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 651-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) को सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्टस् को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री लखनलाल गर्ग	दतिया	डबरा	ग्वालियर	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), डबरा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—

1. श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी जिला धार का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त स्वयं के व्यय पर किया गया है.

2. रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 586-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी), दिनांक 15 अप्रैल 2011, जहां तक इसका संबंध श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी का इंदौर से शुजालपुर, जिला शाजापुर स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

3 रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 602-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी), दिनांक 19 अप्रैल 2011, जहां तक इसका संबंध श्रीमती आशिता श्रीवास्तव का खण्डवा से गुना तथा श्री संजीव श्रीवास्तव का खण्डवा से गुना स्थानान्तरण से है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

4. रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 585 एवं 586-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए एवं बी), दिनांक 15 अप्रैल 2011, के द्वारा स्थानांतरित निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि, उनके द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के संबंध में, जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे वे निरस्त कर दिये गये हैं, अतः उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 7-5-2011 अथवा उसके पूर्व कार्यभार ग्रहण करें :—

1. श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल
2. श्री अजय कुमार गर्ग, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई, जिला बैतूल
3. श्री महेश भदकारिया, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2, विद्युत अधिनियम, भोपाल
4. श्री राजीव कर्महे, तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.

5. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 602-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी), दिनांक 19 अप्रैल 2011, के द्वारा स्थानांतरित निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त कर दिया गया है, अतः उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 7-5-2011 अथवा उसके पूर्व कार्यभार ग्रहण करें :—

1. श्री दिनेश कुमार पालीवाल, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5, विद्युत् अधिनियम, इंदौर.

जबलपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 662-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी, को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सतीश कुमार ताराम	खाचरौद	मुलताई	बैतूल	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री जयराम सिंह कटारिया	खरगौन	सरदारपुर	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एन. एस. सुलया के स्थान पर.
3	श्री रूप सिंह अलवा	जोबट	खाचरौद	उज्जैन	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सतीश कुमार ताराम के स्थान पर.
4	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी	सीधी	पवई	पन्ना	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री पंकज गौर	छिन्दवाड़ा	इन्दौर	इन्दौर	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5, विद्युत् अधिनियम, इंदौर की हैसियत से.
6	श्री निर्भय सिंह सुलया	सरदारपुर	खरगौन	मण्डलेश्वर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जयराम सिंह कटारिया के स्थान पर.
7	श्री रेवा राम बामनिया	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पंकज गौर के स्थान पर.

क्र. 663-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) को सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्टस् को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ

(5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय	पवई	रीवा	रीवा	नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री संजय कुमार द्विवेदी	छिन्दवाड़ा	मऊगंज	रीवा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन के स्थान पर.
3	श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन	मऊगंज	कुक्षी	धार	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे
रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. बी-1209-तीन-10-40-78(आर्थिक अपराध).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-758-तीन-10-40-78(आर्थिक अपराध), दिनांक 6 मार्च, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 8 के खण्ड (2) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले)
(1)	(2)	(3)	(4)
"8	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, मुख्य, न्यायिक दण्डाधिकारी, ग्वालियर.	ग्वालियर	ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, दतिया तथा टीकमगढ़.

No.B-1209-III-10-40-78(Economic-Offences.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in its notification No. C-758-III-10-40-78(Economic-Offences), dated 6th March, 2009.

AMENDMENT

In the schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 8th following entries shall be substituted namely :—

S.No.	Name of the Presiding Officer of the Special Court	Head Quarter	Local Area (Civil Districts)
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Shri Sanjay Kumar Chaturvedi, CJM, Gwalior	Gwalior	Gwalior, Morena, Sheopur, Bhind, Shivpuri, Guna, Datia & Tikamgarh"

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.